

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सैक्टर-12, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : esac2023@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 23/06/2023 को संयुक्त 485वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

— 00 —

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 485वीं बैठक दिनांक 23/06/2023 को श्री. बी.बी. मोहनारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संयुक्त हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों में ध्यान दिया:-

1. श्री एन.डी. घन्टाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री किरान सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. डॉ. मोहम्मद सफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री डी. लहलु वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 485वीं बैठक दिनांक 23/06/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 485वीं बैठक दिनांक 23/06/2023 को संयुक्त हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष सीधे प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: मौखिक/पुस्तक खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतिकरण उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति / टी.ओ.आर./अन्य आवश्यक निर्णय किया जाना।

1. मेघाई बंगोरी लाईन स्टीन साईन (श्री- श्री अदिति मण्ड, ग्राम-बंगोरी, तखसील-सुम्नर, जिला-सप्तगुज (सकियालय का पार्सी क्रमांक 2381)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 07085/ 2021, दिनांक 30/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। परिवर्तित चार्टर 2.0 में अपडेट होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के दौरान पुनः नया टी.ओ.आर ऑनलाइन आवेदन प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 424828/2023 जर्नेट (Automatic) हुआ। तत्परचात पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट सहित आवेदन करने पर

प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एसआईएन/425217/2023, दिनांक 11/04/2023 जनरल हुआ है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित घुन पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान घास-बंगोरी, तहसील-सुपुल, जिला-नारगुजा स्थित खसत क्रमांक 25/24, कुल क्षेत्रफल-1.374 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उल्लानन क्षमता-15,438 टन (8,174 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पुर्व में एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा इकनम बी। सीटिंगी का होने के कारण घास सलकर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नवालय द्वारा अक्टू, 2019 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीडीआर) और ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज निस्कारण इन्सायरीट क्लीयरेंस अन्तर ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेरी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीडीआर (लोक सुन्वाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परिवर्तन प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(क) समिति की 446वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेहता कॉन्सीलेंट रिजर्व इन्फ्रिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा कलकत्ता की ओर से सुधी अंतर्ली बचाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा माली, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पुर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पुर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. घास बंगोरी का अनापति प्रमाण पत्र - उल्लानन के संबंध में घास बंगोरी का दिनांक 08/03/2020 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उल्लानन योजना - जारी प्लान, इन्सायरीट मैनेजमेंट प्लान एम्ब जारी क्लीयर प्लान प्रस्तुत किया गया है। उक्त संघालक (ख.प्र.) जिला-सुपुल के पु. ज्ञापन क्रमांक 1818(A)/ख.सि-2/2021 नारगुजा, दिनांक 28/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-नारगुजा के ज्ञापन क्रमांक 808/खनिज/ख.सि.1/स.प./2022 अम्बिकपुर, दिनांक 23/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से मीटर 28 खदान, क्षेत्रफल 27.801 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-नारगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1420/खनिज/ख.सि.3/स.प./2021 अम्बिकपुर, दिनांक 13/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बरिड बरिज, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकर एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण - भूमि एवं एल.ओ.आई. की आदित्य भगत के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकानपुर के ज्ञापन क्रमांक 1098/खनिज/ख.नि.1/न.क्र.1/2020 अम्बिकानपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रतिलिपि 1 वर्ष हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की किराया वृद्धि हेतु दिनांक 08/08/2022 को कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा में किये गये आवेदन की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल आवेदन वर्तमान में प्रतिव्यतीव है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनस्पतलधिकारी, सरगुजा वनस्पतल, अम्बिकानपुर के ज्ञापन क्रमांक/एल.ओ.आई./2890 अम्बिकानपुर, दिनांक 07/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 7 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बंगोरी 880 मीटर, स्कूल ग्राम-बंगोरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.15 कि.मी. एवं राजमार्ग 10 मीटर दूर है। गागर नदी 700 मीटर, तालाब 520 मीटर, नौकरी नाला 280 मीटर एवं नहर 18.3 कि.मी. दूर स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जन्तुारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेन्सी पोस्टग्रेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संघदा एवं खनन का विवरण - डिप्लोमाडिजिटल रिजर्व 1,71,730 टन, साईनेबल रिजर्व 1,09,782 टन एवं निकलनेबल रिजर्व 1,07,887 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,085 वर्गमीटर है। ओपन काल्ट सेमी सेल्फनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,498.75 घनमीटर है, जिसमें से 1,483 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर पुनोत्पन्न किया जाएगा। ओवरबर्डन की मोटाई 0.75 मीटर तथा कुल मात्रा 7,298.25 घनमीटर है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओवर बर्डन का उपयोग रोप व अन्य निर्माण तथा चट्टीय मार्ग को रख-रखाव में किया जाएगा। सैंक ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसत क्रमांक 25/24 एवं खसत क्रमांक 24, क्षेत्रफल 4,180 वर्गमीटर) में पक्काकित कर संरक्षित रखा जाएगा। रोप की चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	14,700	द्वितीय	7,350

द्वितीय	14,455	पथम	6,615
तृतीय	15,067	अष्टम	6,860
चतुर्थ	16,312	नवम	6,247
पंचम	15,435	दशम	6,904

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत सेन्ट्रल गवर्नर वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. दूषारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 813 वर्ग दूषारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
दूषारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु सति	12,160	4,050	4,050	4,050	4,050
फेंसिंग हेतु सति	69,670	—	—	—	—
खाद हेतु सति	40,650	40,650	40,650	40,650	40,650
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु सति	2,29,000	2,29,000	2,29,000	2,29,000	2,29,000
कुल सति = 14,18,700	3,37,800	2,69,700	2,69,700	2,69,700	2,69,700

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी लीज पट्टी में जलखनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की लीज पट्टी में जलखनन कार्य नहीं किया गया है।
15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 11 स्थानों पर परियोजना वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर श्रुति स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 11 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग कार्य के सत्यापन हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफ्स अद्यतन एवं वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	12.42	30.24	60
PM ₁₀	57.22	69.62	100
SO ₂	7.24	18.52	80
NO ₂	8.12	30.62	80

- परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में बताये गये टेबल अनुसार सतही/उप-सतही, ग्राउंडवॉटर, सल्फर, कार्बोनेट्स, लोड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

v. परिवेशीय श्रुति स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	40.2	63.9	75
Night L_{eq}	37.9	59.4	70

जो उक्त स्तर के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- vi. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के संचालन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 नवम्बर 2022 से 30 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अर्धवृत्त 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर नू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर श्रुति स्तर मापन, 2 स्थानों पर सड़की जल गुणवत्ता तथा 11 स्थानों पर मिट्टी से नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ_x का सापेक्ष स्तर—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	13.45	31.28	60
PM _{2.5}	58.22	70.84	100
SO ₂	9.14	31.65	80
NO ₂	8.22	19.53	80

- viii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय श्रुति स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	39.2	64.8	75
Night L_{eq}	36.71	58.91	70

जो उक्त स्तर के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से सकारण पाये गये।

- ix. पी.सी.यू की गणना— घाटी बाइपास / गल्टीएक्जल हीवी बाइपास को सम्बन्धित करते हुये दृष्टिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 388.05 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/मी अनुपात (MPC ratio) 0.2983 है। प्रस्तावित परिवर्धना उपरंत 17.3 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। तत्परन्तु कुल 405.35 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/मी अनुपात (MPC ratio) 0.27 होगी। विस्तार के उपरंत भी सी-मोडरेट/ग्रेडबक्स के परिवर्धन हेतु सड़क कार्य की लोड करिंग समता निर्धारित मानक (very good) के भीतर है।

- x. जी.एल.सी की गणना — खनन, लॉडिंग-अनलॉडिंग, भारी वाहनों / गल्टीएक्जल हीवी वाहनों के परिवर्धन को सम्बन्धित करते हुये जी.एल.सी. (GLCs) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार अधिकतम 78.049 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ एवं न्यूनतम 62.23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जो कि निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।

- xi. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा फलोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 28/07/2022, सात 11:05 बजे, स्थान - ग्राम पंचायत भवन कारी, ग्राम-कारी, तहसील-कुम्हा, जिला-सुरगुजा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज तदर्थ सचिव, एनटीएसएड पर्यावरण संरक्षण बंकर, नवा रावपुर अटल नगर, जिला-रावपुर से पाठ दिनांक 12/10/2022 द्वारा भेजित किया गया है।

17. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विषय प्रस्तुत किये गये हैं:-


- I. खदान खुलने से हमारे गांव को फलदा होता है। कारित नहीं होने की स्थिति में खदान में भरे पानी को सिंचाई में उपयोग किये जाने की सहायता मिलती है।
- II. खदान खुलने से हम लोगों को काली लाम हो रहा है। खदान खुलने से लोगों को रोजगार मिलता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न कथनों के निराकरण की दिशा में परियोजना इम्प्लायरों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- I. पंप जल तथा अन्य कार्यों हेतु जल व्यवस्था के संबंध में पंप वाटर हावीस्टिंग परियोजना लगाई जायेगी तथा ग्राम सचिबि द्वारा सीसी गई जिम्मेदारियों का समय पर पालन किया जाएगा।
- II. स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार पर रखा जाएगा। साथ ही गांव के रहने वालों को रहने की किराये पर लेकर रोजगार प्रदाय किया जाएगा।
- III. वायु प्रदूषण को नियंत्रण हेतु सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने प्रदूषण को कम किया जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत कृषाटीयन किया जाएगा। खदान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को पर्याप्त मुका उपकरण दिए जाएंगे।
- IV. गडनों को ढक कर परियोजना किया जाएगा। अट्रोल स्टारिस्टिग किया जाएगा। स्टारिस्टिग कर कार्य की जी.एम.एम. द्वारा अधिकृत लिखीयतक लाईसेंस धारक से कराया जाएगा।

18. कंसल्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना इम्प्लायर द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए कंसल्टर में 4 खदानों को शामिल करते हुए कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य इम्प्लायरित है:-

विषय	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परियोजना के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न कुल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 1.34 कि.मी.	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000



कमन्डर मार्ग में (288 नम) कुशासेपन हेतु	कुशासेपन (30 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	8,940	4,450	4,450	4,450	4,450
	सेमिन हेतु राशि	1,11,760	—	—	—	—
	खाप हेतु राशि	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700
	सिन्धई एन एन- एखाप हेतु राशि	1,19,510	1,15,050	1,15,050	1,15,050	1,15,050
इन्फ्रास्ट्रक्चर सेमिनारिंग		1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
सड़की / पहुँच मार्ग के संभालन हेतु		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
हेल्थ चेकअप केम्प		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
कुल राशि = 23,21,700		8,60,800	4,40,200	4,40,200	4,40,200	4,40,200

खीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेमिनारिंग प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी—

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़की/पहुँच मार्ग से उत्पन्न कुल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल सिंक्रलन, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 400 मीटर	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700
इसित परिटिका के विकास हेतु सामान्य मार्ग के दोनों ओर (288 नम) कुशासेपन हेतु	85,000	49,000	49,000	49,000	49,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर सेमिनारिंग हेतु	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800
सड़की / पहुँच मार्ग के संभालन हेतु कुल लम्बाई 400 मीटर	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
हेल्थ चेकअप केम्प हेतु	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
कुल राशि = 8,33,500	1,67,500	1,31,500	1,31,500	1,31,500	1,31,500

18. भारत सरकार, पारलियम, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2008 (पंच संशोधित) के प्रावधानों एवं सनरीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण बजट हेतु खीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेमिनारिंग प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलक्टर ने शामिल सभी खदानों द्वारा खनन से पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलक्टर ने अपने वाले खदानों की वारंशिक गतिविधियों से पर्यावरणीय घाटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर ने अपने वाले क्षेत्र समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलक्टर हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कठई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्त्त, इंचार्ज की भवन, तथा रामपुर अटल नगर, जिला - रामपुर (प्रतीनगर) के स्तर से निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परिलोकना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
12.51	2%	0.25	Following activities at nearby, Govt. Primary School Mahuwapara Village-karna	
			Installation of water Filter and its AMC & 1 soak pit	
			L/V water filter (2L)	0.15
			AMC (for 5 years)	0.10
			Soak Pit	0.05
Total			0.30	

21. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रान्तपालक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
22. खानी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संक्षरित कर संक्षरित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुसंयोग न करने, विक्षय न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्रयोग हेतु किये जाने, इस प्रकार संक्षरित खनी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उसके निरीक्षण/ प्रमाण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. ब्लास्टिंग का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत डिस्कोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सत्य कुसंरोधन विन्दे जाने एवं संपित पौधों का सलाईवेल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित विन्दे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

(ऑनसाइट/ऑफिसियल) द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र/प्रतिष्ठित एवं जिला प्रशासन या प्रकृतिसंगत पर्यावरण संरक्षण समझौते की परामर्शकारी/प्रतिष्ठित एवं जिला प्रकृतिसंगत प्रकृतिसंगत पर्यावरण संरक्षण समझौते की परामर्शकारी/ऑफिसियल) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं 7.5 मीटर की सीमा परासी में स्थापित एक कवर पूर्ण किए जाने के उपरान्त गठित सि-सीमा समिति से सहायता कसबा जाना आवश्यक है।

28. सामूहिक एन.सी.टी., डिस्ट्रिक्ट लेवेल, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च प्राथमिक विस्तृत भूदाता संरक्षण पर्यावरण एवं जीव जगत पर्यावरण पर्यावरण, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रतिष्ठित एवं जिला प्रशासन) न. 188 जी.ओ. 2018 एवं अन्य) में दिनांक 02/09/2018 को पारित आदेश में सुझाव एवं सिम्बानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से सिम्बानुसार निर्देश लिख गया—

1. आवासीय असेसमेंट (अनियत काल), जिला-सलमुज की जमान कमाक 008/अनियत/सलिया/व.प./2022 अम्बिकपुर, दिनांक 29/05/2022 को अनुसार आवेदन काल 500 मीटर से मीटर 25 खदान, क्षेत्रफल 27.821 हेक्टेयर है। आवेदन काल (घास-पगोरी) का क्षेत्रफल 1.374 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदन काल (घास-पगोरी) की मिलान कुल क्षेत्रफल 28.825 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/समाहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की माने गयी।
2. एम.आई.ए. की विचार सुद्धि समिति जनसहो/दस्तावेज प्राप्त कर एम.आई.ए. एवं प्रकृतिसंगत में अनिवार्य रूप से समुदाय करने की शर्त के अंतर्गत ही पर्यावरणीय नवीकृति की प्रस्ताव अनुमति की जायेगी है।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदनक — केसर्स पगोरी लाईन स्टेशन माईन (बी-1) की आवेदनक समिति एवं घास-पगोरी, तहसील-सुम्भू, जिला-सलमुज के समस्त समिति 28/24 में विचार कुल प्रकार (बी.ओ. अनियत) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.374 हेक्टेयर, जमानक संख्या-15.433 टन (1.174 फनपीटर) प्रतिस्था हेतु परिसिस्ट-01 में पारित शर्तों के अंतर्गत पर्यावरणीय नवीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

साथ राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण आयोग प्रकृतिसंगत (एम.आई.ए.ए.ए.) प्रकृतिसंगत को उपरोक्त सूचित किया जाए।

2. केसर्स शर्त लाईन स्टेशन माईन (बी-1) की द्विरेन्द्र कुमार मिश्र, घास-सर्व, तहसील-सुम्भू, जिला-सलमुज (सचिवालय का नली संख्या 2382)

ऑनसाईट आवेदन — पूर्ण में प्रकृतिसंगत काल — एम.आई.ए./सी.टी./एम.आई.ए.ए./61828/2021, दिनांक 15/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। परिसिस्ट पीटीए 2.0 में अपडेट होने के कारण पर्यावरणीय नवीकृति आवेदन के दौरान



घुस नया टी.ओ.आर ऑनलाईन आवेदन प्रोजेक्ट नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एमआईएन/424660/2023 जर्नेट (Automatic) हुआ। तत्पश्चात पर्यावरणीय सर्वेक्षित प्राप्त करने के लिए फाईनल ईआईए रिपोर्ट सहित आवेदन करने पर प्रोजेक्ट नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एमआईएन/425159/2023, दिनांक 11/04/2023 जर्नेट हुआ है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित घुस पंचायत (पीए खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बारा, टाहरील-सुम्हा जिला-सतलुजा निम्न पार्टी ऑफ़ सस्ता जम्मांक 532 एवं 534, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-11,816 टन (4,750 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एच.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रकल्प 'डी' कोटेजरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैम्पाई टर्म्स ऑफ़ रिफॉस (टी.ओ.आर) फॉर ईआईए/ईएपी. रिपोर्ट फॉर कोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन्फार्मलेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैम्पाई टी.ओ.आर (लोक घुसवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 48वीं बैठक दिनांक 23/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री द्विरेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रोजेक्ट/एन एवं पर्यावरण सहायक के रूप में मेमर्स ऑफ़ीसीयल रिजर्व इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नौदक उत्तरप्रदेश की ओर से सुधी अंजली प्रधान उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षित संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय सर्वेक्षित जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अन्यायित ज्ञापन पत्र - उत्खनन की शर्त में ग्राम पंचायत करी का दिनांक 08/03/2020 का अन्यायित ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - जारी प्लान, इन्फार्मलेंट मेनेजमेंट प्लान एन्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप मंत्रालय (ख.प्र.) जिला-सतलुजा के ज्ञापन जम्मांक 106/खनिज/खलि.3/उत्खनन यी./2020-21 अम्बिकापुर, दिनांक 18/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सतलुजा के ज्ञापन जम्मांक 804/खनिज/खलि.1/ख.प./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 23/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर 28 खदानें, क्षेत्रफल 27,876 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सतलुजा के ज्ञापन जम्मांक 348/खनिज/खलि.1/प.प्र.14/2020 अम्बिकापुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे

सदिर मीनार, नरघट, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री द्विनेन्द्र कुमार मिश्रा के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (धर्मिज शाखा) अम्बिकपुर, जिला-सरगुजा के ज्ञानन क्रमांक 24/अभिज/धर्मि.1/न.क.14/2020 अम्बिकपुर, दिनांक 05/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता पुष्टि हेतु दिनांक 11/11/2021 को कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (धर्मिज शाखा), जिला-सरगुजा में किरी गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक आवेदन वर्तमान में प्रक्रियामय है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि की सुखन राम के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - साधारण वन मण्डलधिकारी, सरगुजा जलमंडल, अम्बिकपुर के ज्ञानन क्रमांक/सक.अधि./2007 अम्बिकपुर, दिनांक 20/08/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 3 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महानगरीय संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय घन-घन 315 मीटर, स्कूल घन-घन 800 मीटर एवं अस्पताल राजपुर 9.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.95 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.9 कि.मी. दूर है। नगर नदी 1.6 कि.मी., नाला 15 मीटर, नहर 17 कि.मी. एवं तालाब 440 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इण्टिग्रेटी पीएनएच एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - जियोजोमेट्रिकल निजर्व 1,37,500 टन, माईनेकल रिजर्व 58,881 टन एवं रिजर्वरिजल निजर्व 58,878 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,832 वर्गमीटर है। औषध क्वार्टर सीमा में माईनेकल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल गहराई 2,408.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,019 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर पुनर्स्थापित किया जाएगा। क्षेत्र 1,387 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के 2,395 वर्गमीटर (पैर माईनिंग ज़ोन) क्षेत्र में फैलाकर पुनर्स्थापित के लिए उपयुक्त किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्वार्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	11,875.00

Handwritten signature and mark.

द्वितीय	11,459.38
तृतीय	11,158.56
चतुर्थ	11,043.75
पंचम	11,143.50

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य निदेशिका से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कुआरोपम कार्ड - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 504 नव एवं वीर माइनिंग क्षेत्र में 688 नव (कुल 1,233 नव) कुआरोपम किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नांकित कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
कुआरोपम (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	18,480	6,150	6,150	6,150	6,150
वैसिग हेतु राशि	45,070	—	—	—	—
चार हेतु राशि	81,650	81,650	81,650	81,650	81,650
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,25,000	2,25,000	2,25,000	2,25,000	2,25,000
कुल राशि = 16,21,400	3,50,200	2,92,800	2,92,800	2,92,800	2,92,800

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्ड नहीं किया गया है।
16. वीर माइनिंग क्षेत्र - लीज क्षेत्र में वाले एवं खदान के बीच 2,305 वर्गमीटर क्षेत्र को वीर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। वीर माइनिंग क्षेत्र में कुआरोपम कार्ड किया जाएगा। जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है।
17. ईआईए रिपोर्ट का विश्लेषण-
 - i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - माइनिंग कार्ड 15 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के नाम किया गया है। 10 किलोमीटर के अर्धवृत्त 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सखी जल गुणवत्ता तथा 11 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
 - ii. माइनिंग कार्य के संचालन हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफस अर्थात एवं वेकॉस सहित प्रस्तुत किया गया है।
 - iii. माइनिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ, एनओ, का संचयन लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	GPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	12.42	30.24	60
PM ₁₀	57.22	89.82	150
SO ₂	7.24	18.52	80
NO ₂	8.12	30.62	80

- iv. परिवर्तन काल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ईआईए में Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, लोड्स, कार्बोनेट्स, लेड, अमोनिक एवं अन्य रसायनिक पदार्थों का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।

- v. परिवर्तनीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	40.2	63.9	75
Night L_{eq}	37.8	59.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- vi. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के कार्यालय हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 नवम्बर 2022 से 30 नवम्बर 2022 के बीच किया गया है। 10 किलोमीटर की अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवर्तनीय वायु गुणवत्ता मापन, 3 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सड़की जल गुणवत्ता तथा 11 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सामान्य लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	13.45	31.28	60
PM ₁₀	58.32	70.84	100
SO ₂	9.14	31.65	80
NO ₂	8.22	19.53	80

- viii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवर्तनीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	39.2	64.8	75
Night L_{eq}	36.71	58.91	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से स्थान पाये गये।

- ix. पीसीयू की गणना- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को समाहित करता हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 388.25 पीसीयू प्रतिघंटा एवं की/मी अनुसार (ATC ratio) 0.2583 है। प्रस्तावित परिवर्तन पर 17.3 पीसीयू की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 405.55 पीसीयू प्रतिघंटा एवं की/मी अनुसार (ATC ratio) 0.27 होगी। विस्तार के उपरान्त पी सी-व्हेरिजल/ड्रेजलर के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (very good) के भीतर है।

- x. जीएलसी की गणना - खनन, लोडिंग-अनलोडिंग, भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों के परिवहन को समाहित करता हुये जीएलसी (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार

अधिकतम 78.049 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ एवं न्यूनतम 82.23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जो कि निर्धारित
 भारतीय मानक सीमा से कम है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी
 प्रस्तुत किया गया है।
18. लोक सुनवाई दिनांक 29/07/2022, सात: 11:35 बजे, स्थान - ग्राम पंचायत
 भवन कारी, ग्राम-कारी, तहसील-कुम्हा, जिला-रायपुर में संपन्न हुई। लोक
 सुनवाई दस्तावेज तदनुसार सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया
 रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 13/10/2022 द्वारा प्रेषित
 किया गया है।
19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. खदान खुलने से हमारे गांव को परावृत्त होता है। बारिश नहीं होने की
 स्थिति में खदान में गरे पानी को सिंचाई में उपयोग किये जाने की सहायता
 मिलती है।
2. खदान खुलने से हम लोगों को कच्ची जल ही रहा है। खदान खुलने से
 लोगों को रोजगार मिलता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न कथनों के निराकरण की दिशा में
 परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कन्सल्टेंट का कथन
 निम्नानुसार है:-

1. पेष जल तथा अन्य कार्यों हेतु जल व्यवस्था के संबंध में रेल वाटर हासिलिंग
 परियोजना लगाई जायेगी तथा ग्राम समिति द्वारा सीपी गई डिम्बेदानियों का
 समय पर चलान किया जाएगा।
2. स्थानीय लोगों को कच्ची पंपवेल के अनुसार रोजगार पर रखा जाएगा।
 साथ ही गांव के बाहन मजिनियों के बाहन को विद्यार्थे पर लेकर रोजगार
 प्रदान किया जाएगा।
3. वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव
 करके प्रदूषण को कम किया जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत
 वृक्षारोपण किया जाएगा। खदान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को व्यक्तिगत
 सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे।
4. राहनों को एक कर परिवहन किया जाएगा। सड़कों पर अस्थिर किया
 जाएगा। अस्थिर का कार्य सी.डी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक
 लाइसेंस धारक से कराया जाएगा।
20. कन्सल्टेंट हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा
 बताया गया कि आवेदित खदान की स्थिति अनौ हुये कन्सल्टेंट में कुल 4
 खदानें आती हैं। अतः कन्सल्टेंट में स्थिति खदानों द्वारा सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स
 मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट प्लान के
 तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000

परिवहन के दौरान सड़कों/घट्टों मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, घट्टों मार्ग की कुल लम्बाई 1.34 कि.मी.						
कालक्टर मार्ग में (104 नम) कुशादेयता हेतु	कुशादेयता (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	8,943	4,450	4,450	4,450	4,450
	फैसिम हेतु राशि	1,11,750	—	—	—	—
	घाट हेतु राशि	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700
	शिफाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,19,510	1,15,050	1,15,050	1,15,050	1,15,050
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग		1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
सड़कों / घट्टों मार्ग के संभालन हेतु		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
दैनिक घेरावप कर्म		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
कुल राशि = 23,21,700		5,60,900	4,40,200	4,40,200	4,40,200	4,40,200

वर्षीय इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहायिता निम्नानुसार होगी-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
घट्टों मार्ग के दौरान सड़कों/घट्टों मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, घट्टों मार्ग की कुल लम्बाई 200 मीटर	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
वर्षीय परियोजना के विकास हेतु सामान्य मार्ग के दोनों तरफ (104 नम) कुशादेयता हेतु	81,900	35,700	35,700	35,700	35,700
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
सड़कों / घट्टों मार्ग के संभालन हेतु कुल लम्बाई 200 मीटर	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
दैनिक घेरावप कर्म हेतु	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
कुल राशि = 5,05,200	1,22,000	95,800	95,800	95,800	95,800

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सी.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.डी.डी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण बलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बलस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन की पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक साहायिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बलस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटनाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु बलस्टर में आने वाली क्षेत्र समस्त खदानों को शामिल करती हुई, बलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनदाल, सीनियर तथा सनिकर्न्, इंडायरी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अलीसगढ़) के स्तर से निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.50	3%	0.30	Following activities at nearby, Govt. Primary School Village-karna	
			Installation of UV water (15L) Filter and its AMC (for 5 years)	0.20
			Pipeline, Sainitaryware & Installation in School Toilet	0.10
			Total	0.30

23. सी.ई.आर. के राहू प्रस्तावित राहू के प्रधानपाठक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

24. उपरोक्त मिट्टी को सीज क्षेत्र से बाहर मजदूरित कर संश्लित रखे जाने हेतु मिट्टी का नुकसयन न करने, विखन न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःसचय हेतु किये जाने, इस प्रकार मजदूरित उपरोक्त मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को समझे निरीक्षण/ इमन के दौरान निरीक्षण करये जाने राहू राहू पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. ब्लॉकिंग का कार्य सी.जी.एन.एस. द्वारा अधिभूत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कठोर जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. बाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर जल कुआरों का विद्ये जाने एवं रोपित पौधों का सारवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से अनुचित डाट करकॉजिन होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल डिफेंसिव बरि व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउण्ड्री विवरण द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. प्रतीकानुद्ध आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्वामीय लोगों को संलग्न किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला से नहीं किये जाने एवं इसके संक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन इकनन देन से अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंयु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधन का इकनन लखित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से लोकसुनबाई के दौरान जो भी अपशिष्ट, कृषक या मुददे लदाये गये है उसके संक्षण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जखन एवं जानवरों के अनुसार निराकरण किया जाएगा।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि बाउण्ड्री कन्ट्रोल क्षेत्र के लिए प्रस्तुत किए गए संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए गठित पर्यावरणीय समिति के दिनांदिता एवं निगरानी में अपनी भागीदारी के रूप में योगदान दिया जाएगा। चूंकि वर्षों के परवात भी संयुक्त कन्ट्रोल पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन में व्यवस्थित भागीदारी की सीमा तक भागीदारी करते हुए संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना को लागू करने हेतु योगदान प्रति खर्च करते हुए अनुपालन किया जाएगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India With Petition (C) 114 of 214 से लिए गए दिशा निर्देशों का भी द्वारा पालन किया जाएगा।

36. अनिवार्यता प्रस्तावक द्वारा समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जायेगा।
37. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्वे एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृषिरोपण कार्वे के अनिवार्य एवं पर्यावरण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (श्रीमतीसगढ़/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या श्रीमतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृषिरोपण का कार्वे पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित करवा जाना आवश्यक है।
38. माननीय एन.डी.टी., डिस्ट्रिक्ट डेप्ट. नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पारम्परिक विस्फोटक नारायण सखार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (श्रीमतीसगढ़ एक्सप्लोसिव नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सतलुजा के आदेश क्रमांक 804/खनिज/खनि.1/18.ए/2022 अम्बिकपुर, दिनांक 23/05/2022 से अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा 28 खदानें, क्षेत्रफल 27.875 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-करी) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-करी) का मिलकर कुल क्षेत्रफल 28.875 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संशोधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने से कारण यह खदान सी-1 श्रेणी की गयी गयी।
2. एन.डी.आई. की कठोर वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर एन.डी.आई.ए. ए. श्रीमतीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमति की जाती है।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कार्ट लाईम स्टोन नाईन (प्री- सी डिस्ट्रिक्ट कुपर मिश्र) को ग्राम-करी, तहसील-सुम्हा, जिला-सतलुजा से फर्ट ऑफ सतलुजा क्रमांक 832 एवं 834 में निम्न पुनः पत्थर (सीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, ताकतमान क्षमता-11,875 टन (4,750 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-82 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण तथा आकलन प्राधिकरण (एन.डी.आई.ए.ए.), श्रीमतीसगढ़ की तदनुसार सुचित किया जाए।

3. मेडर्स कंपनी लाईन स्टोन माईन (सी-बी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता), ग्राम-बंगोरी, तहसील-सुम्ना, जिला-सुरगुजा (अधिकार का नवी क्रमांक 2383)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/81878/2021, दिनांक 18/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। परिसर सीटल 3.0 में अपडेट होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के दौरान पुन नया टी.ओ.आर ऑनलाइन आवेदन प्रयोजन नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/424888/2023 जनरल (Auction) हुआ। तत्पश्चात पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फार्मल ई.आई.ए रिपोर्ट सहित आवेदन करने पर प्रयोजन नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/424821/2023, दिनांक 11/04/2023 जनरल हुआ है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित नया पत्थर (पीथ खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बंगोरी, तहसील-सुम्ना, जिला-सुरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 26/28 एवं 28/23, कुल क्षेत्रफल-1.234 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित राखणन क्षमता-5,078.98 टन (2,030.83 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी, फलीसगढ़ के द्वारा दिनांक 11/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित स्टैंडर्ड टर्मा ऑफ रिजर्व (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट और प्रोसेक्यूट/एक्टिविटीज रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेट सटीवनेस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में उचित कंपनी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, फलीसगढ़ के द्वारा दिनांक 18/08/2023 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 466वीं बैठक दिनांक 23/08/2023

अनुमोदन हेतु सी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्रोसेक्यूटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेडर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्फ्रिया प्राइवेट लिमिटेड, सीएल सलाहकार की ओर से सुझाव अर्जली बताने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अंशोक्त एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संशुद्धी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनाधिकृत प्रस्ताव पत्र - राखणन के संशुद्ध में ग्राम पंचायत बंगोरी का दिनांक 08/03/2023 का अनाधिकृत प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. राखणन योजना - क्वारी प्लान, इन्फॉर्मेट केनेजमेंट प्लान एम्ब क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उप संकलक (सा.प्र.) जिला-सुरगुजा के द्वारा क्रमांक 2010/सफिज/वटि.3/राखणन सी./2020 अम्बिकापुर, दिनांक 23/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कर्वालय कलेक्टर (खनिज सहा.) जिला-सुरगुजा के द्वारा क्रमांक 807/सफिज/वटि.1/स.प./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 23/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 28 खदानें, क्षेत्रफल 27.641 हेक्टेयर है।





5. 200 मीटर की परिधि में स्थित कार्बनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्पोलय कलेक्टर (खनिज साखा), जिला-सरगुजा के डायन क्रमांक 2041/खनिज/खलि.1/20 अम्बिकापुर, दिनांक 28/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्बनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जद, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, बांध, एनिकाट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के नाम पर है जो कार्पोलय कलेक्टर सरगुजा (खनिज साखा), अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा के डायन क्रमांक 1781/खनिज/खलि.1/न.क.17/2020 अम्बिकापुर, दिनांक 13/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंपटा जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। परिवोधन प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की कैंपटा वृद्धि हेतु दिनांक 05/10/2021 को कार्पोलय कलेक्टर सरगुजा (खनिज साखा), जिला-सरगुजा में किन्हीं पांच आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। परिवोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त आवेदन वर्तमान में प्रक्रियामय है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि श्री मिथिलेश कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्पोलय वनसम्वलधिकारी, सरगुजा वनसम्वर, अम्बिकापुर के डायन क्रमांक/तक.अधि./3034 अम्बिकापुर, दिनांक 22/10/2020 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घान-बंगोरी 500 मीटर, स्कूल घान-बंगोरी 2.2 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 10.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 725 कि.मी. एवं राजमार्ग 1836 मीटर दूर है। गागर नदी 720 मीटर, नहर 18.25 कि.मी., नाला 750 मीटर एवं तालाब 430 मीटर दूर है।
11. परिसिद्धिहीन/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिवोधन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अन्वयारम्भ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिकली पील्फुटेड एरिया, परिसिद्धिहीन संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संवदा एवं खनन का विवरण - सिधोलॉजिकल रिजर्व 1,88,815 टन, माईनेबल रिजर्व 1,18,888 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 1,10,823 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,218 वर्गमीटर है। जीवन साइट सेमी मेकनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में खपती मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,582.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,187 घनमीटर खपती मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर पुनःस्थापित किया जाएगा। शेष 3,408.5 घनमीटर खपती मिट्टी को स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 230/30, 2,820 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संग्रहित रखा जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 22-1 वर्ष है। लीज क्षेत्र

में हजार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं सेंट्रल व्हाइलिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रलाय किया जाएगा। सर्वोपरि प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,048.88	चतुर्थ	5,048.88
द्वितीय	4,987.50	पंचम	5,017.19
तृतीय	5,017.19	अष्टम	5,017.50
षष्ठम	4,987.51	नवम	4,987.50
सप्तम	4,987.50	दशम	5,017.19

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत सेन्ट्रल चारंज हाउस अधीनस्थी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. कुआरोपम कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी क्षेत्र 7.5 मीटर की पट्टी में 842 म² का कुआरोपम किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिये निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (सर्घर्ष)	द्वितीय (सर्घर्ष)	तृतीय (सर्घर्ष)	चतुर्थ (सर्घर्ष)	सप्तम (सर्घर्ष)
कुआरोपम (80 प्रतिशत जीवन रक्ष) हेतु रकम	8,630	3,210	3,210	3,210	3,210
पौंसिंग हेतु रकम	50,000	-	-	-	-
बाद हेतु रकम	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु रकम	2,25,070	2,25,090	2,25,090	2,25,090	2,25,090
कुल रकम = 13,88,400	3,18,800	2,80,400	2,80,400	2,80,400	2,80,400

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के घाटी क्षेत्र 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. ई.आई.ए रिपोर्ट का विश्लेषण-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर कु-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 11 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग कार्य के संचालन हेतु पंचनामा एवं फोटोडायरी अर्थात् एवं वेबसाइट सहित प्रस्तुत किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	12.42	30.24	60
PM ₁₀	57.22	88.80	100
SO ₂	7.24	18.52	80

NO ₂	8.12	30.62	60
-----------------	------	-------	----

- iv. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ईआईए के Chapter-3 Description of environment में उल्लिखित चारों ओर के जल स्रोतों की गुणवत्ता, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लोड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सामान्य स्तर भारतीय मानक से कम है।

- v. परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	46.2	63.9	75
Night L _{eq}	37.9	56.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- vi. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के संचालन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 नवम्बर 2022 से 30 नवम्बर 2022 के बीच किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सड़की जल गुणवत्ता तथा 11 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एअर्बी, एनबी, का सामान्य स्तर—

Concentration level (µg/m ³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m ³)	Maximum (µg/m ³)	CPCB Standard (µg/m ³)
PM _{2.5}	13.45	31.28	60
PM ₁₀	58.22	70.84	100
SO ₂	9.14	31.55	60
NO ₂	6.22	19.53	60

- viii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	39.2	64.8	75
Night L _{eq}	36.71	58.91	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

- ix. पी.सी.यू की गणना— बायीं बाइल / गल्टीएक्जल हेवी वाहनों की सम्बन्धित काले हुए ट्रेडिंक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 388.68 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/मी अनुसार (MVC ratio) 0.2993 है। प्रस्तावित परियोजना उपरान्त 17.3 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। सम्बन्धित कुल 406.05 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/मी अनुसार (MVC ratio) 0.37 होगी। विस्तार के उपरान्त पी.सी.यू-मेटेरियल/ग्रेडअप्ट के परिवर्तन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (very good) के भीतर है।

- x. जी.एल.सी की गणना - खनन, लोडिंग-अनलोडिंग, बायीं बाइल / गल्टीएक्जल हेवी वाहनों के परिवहन को सम्बन्धित काले हुए जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार

अधिकतम 78.048 $\mu\text{g}/\text{litre}^3$ एवं न्यूनतम 82.23 $\mu\text{g}/\text{litre}^3$ है, जो कि निर्धारित राष्ट्रीय मानक सीमा से कम है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Fluoride) एवं फीना (Fenoxa) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 28/07/2022, प्रातः 11:35 बजे, स्थान – ग्राम पंचायत भवन कर्त, ग्राम-कर्त, तहसील-सुन्दूर, जिला-बरगुजा में संभल हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज संदर्भ संख्या, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंडल, गवा राधपुर अटल नगर, जिला-राधपुर के पत्र दिनांक 13/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- खदान खुलने से हमारे गांव को परेशान होता है। बरतित नहीं होने की स्थिति में खदान में बरे पानी को सिंचाई में उपयोग किये जाने की सहायता मिलती है।
- खदान खुलने से हम लोगों को काफी लाभ हो रहा है। खदान खुलने से लोगों को रोजगार मिलता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाने गये विभिन्न कथनों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कॉन्सल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- पेय जल तथा अन्य कार्य हेतु जल व्यवस्था के संबंध में पेन वाटर हावीस्टिंग परियोजना लगाई जादनी तथा ग्राम समिति द्वारा सीपी गड्डे जिम्मेदारियों का समय पर पालन किया जाएगा।
 - स्थानीय लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पर रखा जाएगा। साथ ही गांव के बाह्य मालिकों के बाह्य को किचन पर लेकर रोजगार प्रदाय किया जाएगा।
 - वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़कों पर निर्धारित रूप से पानी का सिंचन करके प्रदूषण को कम किया जाएगा। पर्यावरण प्रकृत योजना के तहत क्लेयरिफिकेशन किया जाएगा। खदान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिए जाएगा।
 - बाहनों को ठक कर परिवहन किया जाएगा। कंट्रोल ब्यारिमेंट किया जाएगा। ब्यारिमेंट का कार्य सी.जी.एच.एस. द्वारा अधिकृत डिप्लोमाटिक लाईसेंस धारक से कराया जाएगा।
19. कंसल्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये कंसल्टर में कुल 4 खदानें आवी है। अतः कंसल्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान को तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

परिचयन के दौरान सड़की/पट्टी मार्ग से उत्पन्न कुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिंचनार्थ पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 1.34 कि.मी.						
कागटय मार्ग से (204 नम) कुशासोधन हेतु	कुशासोधन (30 प्रतिशत जीवन वय) हेतु राशि	8,640	4,450	4,450	4,450	4,450
	परिचयन हेतु राशि	1,11,750	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700
	सिंचनार्थ पट्टीय— रखाव हेतु राशि	1,19,510	1,15,050	1,15,050	1,15,050	1,15,050
इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश		1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
सड़की / पट्टीय मार्ग के संभालन हेतु		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
हैल्थ चेकअप केंद्र		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
कुल राशि = 23,21,700		8,80,900	4,40,200	4,40,200	4,40,200	4,40,200

कीर्तन इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए परियोजना प्रस्तावक की सहमति प्राप्त निम्नानुसार होगी—

विवरण	अथवा (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिचयन के दौरान सड़की/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न कुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिंचनार्थ पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 360 मीटर	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
हरित पट्टिका के विकास हेतु सामान्य मार्ग से दोनों तरफ (240 नम) कुशासोधन हेतु	76,300	44,000	44,000	44,000	44,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश हेतु	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200
सड़की / पट्टीय मार्ग के संभालन हेतु कुल लम्बाई 360 मीटर	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
हैल्थ चेकअप केंद्र हेतु	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
कुल राशि = 8,23,300	1,60,600	1,18,200	1,18,200	1,18,200	1,18,200

20. माना सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं मानवीय एन.डी.टी. द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सम्पूर्ण कलस्टर हेतु कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलस्टर में खाने वाले खदानों की सख्तनन गतिविधियों से पर्यावरणीय परतकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कलस्टर में आने वाली होश समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलस्टर हेतु कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कच्चाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संघलक्ष, संचालनक्षेत्र, भौतिकी तथा खनिज, इंजलरी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अलीगढ़) के स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विलान के चर्चा उपरंत निम्नानुसार विलत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.32	2%	0.344	Following activities at nearby, Govt. Primary School Mahurapara Village-karna	
			Installation of separate water tank for drinking	0.20
			Donation of books related to Environment Conservation	0.10
			Total	0.30

22. सी.ई.आर. के लक्ष्य प्रस्तावित लक्ष्य के प्रदाननाटक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

23. कंपनी मिट्टी को सीधे क्षेत्र के बाहर संवर्धित कर संवर्धित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुसयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःस्थाप हेतु किये जाने, इस प्रकार मण्डलित कंपनी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ प्रमाण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत रायप पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

Handwritten signature

Handwritten mark

Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में विरुद्ध
दिशा निर्देशों का पत्र द्वारा प्रत्येक किया जावेगा।

36. समिति का मत है कि सीईआर, कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पर्यटन में
कुशांतरण कार्य के परिणामित एवं पर्यावरण हेतु त्रि-पक्षीय समिति
(जोपरवाइजर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन
या भारतीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया
जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर, एवं 7.5 मीटर की सीमा पर्यटन में
कुशांतरण का कार्य पूर्ण किया जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से
सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

37. माननीय एन.जी.टी., विनियमन बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायिक विरुद्ध भारत
सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य
(ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018
की पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas
from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by
SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not
provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made
applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्यलय कलेक्टर (ग्रामिण सख्त), जिला-सरगुजा के ज्ञान कर्मिक
807/ग्रामिण/सख्त.1/उ.प./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 23/08/2022 के
अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा 28 खदानें, क्षेत्रफल 27.841
हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बंगोरी) का क्षेत्रफल 1.234 हेक्टेयर है। इस
प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बंगोरी) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 28.875 हेक्टेयर
है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का
कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की
गनी गयी।

2. एन.जी.आई. की वेबसाइट वृद्धि संसदी जानकारी/समावेज प्राप्त कर एन.जी.आई.ए.
ए. भारतीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल से प्रस्तुत करने की शर्त के अंतर्गत ही पर्यावरणीय
स्वीकृति की शर्त अनुमति की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - बंसर्त बंगोरी लार्ड्स
स्टोन माईन (जी.- श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता) को ग्राम-बंगोरी, तहसील-सुम्हड़ा,
जिला-सरगुजा के खसरा क्रमांक 25/38 एवं 26/33 में स्थित कुल क्षेत्र
(बीम ग्रामिण) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.234 हेक्टेयर, पर्यावरण क्षमता-5.078 टन
(2,000 घनमीटर) परिवर्तन हेतु परीक्षा-03 में वर्णित शर्तों के अंतर्गत पर्यावरणीय
स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गयी।

सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (एन.जी.आई.ए.ए.), भारतीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल से
सत्यापित किया जाय।

4. मेसर्स कर्ट लाईन स्टीन माइनिंग प्रोजेक्ट (पी- बीसी क्वॉलि गुच्छ), ग्राम-कर्ट, तहसील-सुम्डा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नक्शा क्रमांक 2084)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432764/2021, दिनांक 08/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। परिसर चार्टर 2.0 में अपडेट होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के दौरान पुन नया टी.ओ.आर ऑनलाईन आवेदन प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/424799/2023 जनरेट (Automatic) हुआ। तापराज पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सॉलज इ.आई.ए. रिपोर्ट सहित आवेदन करने पर प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/424799/2023, दिनांक 11/04/2023 जनरेट हुआ है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कर्ट, तहसील-सुम्डा, जिला-सरगुजा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 879/1, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,217.25 टन (4,088.00 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.आई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी' कंटेनरों का होने के कारण माछा उत्पाद, पर्यावरण, पन और जलवायु परिधान मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित स्टैम्पर्ड टर्न ऑफ लिसेंस (टीओआर) फॉर इ.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज लिखावरिंग इन्वायल्वमेंट क्लीयरेंस अन्डर इ.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में जारी शेमी 1(ए) का स्टैम्पर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदनुसार परिवोजना प्रस्तावक को एस.आई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 800वीं बैठक दिनांक 23/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु की स्थायीकरण गुच्छ, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सहायकार के रूप में मेसर्स वीन्वीजेस रिमार्स इन्फिन्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली प्रधान उपस्थित एए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अंशोक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनामतित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कर्ट का दिनांक 08/03/2023 का अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उत्तर के संबंध में ग्राम पंचायत कर्ट का दिनांक 08/05/2023 का अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - खानी प्लान, इन्वायल्वमेंट मैनेजमेंट प्लान एन्ड जारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उद्य संचायक (ख.प्र.), जिला-राजगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 281/स.सि.-2/2021 तारखत, दिनांक 21/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान - अर्थात् कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 808/खनिज/स.सि.1/स.प./2023

अम्बिकापुर, दिनांक 23/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 27.875 हेक्टर है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के डायन क्रमांक/992/खनिज/खनि.1/स.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 08/08/2021 द्वारा जारी प्रथम पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, बाघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं स्मॉलट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संकीर्ण विस्तार - एल.ओ.आई. सीमटी कति नुपा के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के डायन क्रमांक 289/खनिज/ख.नि.1/स.प.11/2020 अम्बिकापुर, दिनांक 22/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंसल जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की कैंसल कृति हेतु दिनांक 31/01/2022 को कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा में विनोद एवं आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है। परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त आवेदन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
7. नू-स्वामित्व - नुमि श्री एलाकन नुपा के नाम पर है। प्रत्यक्ष हेतु नुमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभागी, सरगुजा वनसंरक्षण, अम्बिकापुर के डायन क्रमांक/तक.अधि./3872 अम्बिकापुर, दिनांक 18/07/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. दूर है।
10. महापूरण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-कर्वा 550 मीटर एवं स्कूल ग्राम-कर्वा 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल टाजपुर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.8 कि.मी. दूर है। गामर नदी 1.9 कि.मी., भीरगी नाला 150 मीटर, नहर 17.45 कि.मी. एवं ताताब 550 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पीलुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संयंत्र एवं खनन का विस्तार - त्रिचोलीजिल्ला रिजर्व लगभग 2,78,000 टन, नाईनेबल रिजर्व लगभग 85,875 टन एवं निकलेबल रिजर्व लगभग 83,931 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (प्रखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,845 वर्गमीटर है। खनन साइट मेकेनाईज्ड सिधि से खनन किया जाएगा। प्रखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,840.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,278 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (प्रखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पीलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। खोहर बर्तन की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 2,840.5 घनमीटर है, जिसमें से

आवश्यकतानुसार जीवन बर्डेन का उपयोग रैब्ड व क्लॉड निर्माण तथा पट्टीय मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा। डेब क्लॉड मिट्टी एवं ओवर बर्डेन को लीज क्षेत्र के बाहर सड़कति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 673/1, क्षेत्रफल 8,000 वर्गमीटर) में सम्भारित कर संरक्षित रखा जाएगा। डेब की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की सम्भारित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खदान सम्भारित किया जाएगा जिसका क्षेत्रफल 774 वर्गमीटर है। डेब डैमर से ड्रिलिंग एवं अट्रोस बसिस्टन किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिफ्टकाव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,212.50	चतुर्थ	9,975.00
द्वितीय	10,117.50	पंचम	9,048.75
तृतीय	10,217.25	अष्टम	9,013.13
चतुर्थ	9,975.00	नवम	9,027.38
पंचम	9,262.50	दशम	7,082.25

- जल आपूर्ति - परिष्कारना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरेजल से सम्भव हो किया जाएगा। इस बाबद् सेन्ट्रल वाटरिंग वार्डर अधीनस्थ से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
- कुआरेशन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 708 नम कुआरेशन किया जाएगा। परिष्कारना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिये निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
कुआरेशन (30 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	10,820	3,540	3,540	3,540	3,540
पेंटिंग हेतु राशि	53,020	-	-	-	-
खाद हेतु राशि	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
मिट्टाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,25,060	2,25,060	2,25,060	2,25,060	2,25,060
कुल राशि = 13,80,100	3,24,100	2,64,000	2,64,000	2,64,000	2,64,000

- खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी लीज पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
- ईआईए रिपोर्ट का विस्तारण -

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - सॉलिटरिंग कार्य 15 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के लिये किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिष्कारना वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर नू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 11 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- सॉलिटरिंग कार्य के उत्खनन हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफ अर्थात् एवं वेसांस सहित प्रस्तुत किया गया है।

(Handwritten signature)

- iv. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सामान्य लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	12.42	30.24	60
PM ₁₀	57.22	89.62	100
SO ₂	7.24	18.52	80
NO ₂	8.12	30.62	80

- iv. परिवर्धना स्थल की आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दस्तावे में टेबल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लोड, आयनिक एवं अन्य सामयिक तत्वों का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।

- v. परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	40.2	63.9	75
Night L _{eq}	37.9	59.4	70

जो उक्त लेवल के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- vi. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के सत्यापन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 नवम्बर 2022 से 30 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 60 किलोमीटर के अर्धवृत्त 11 स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 जगहों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थलों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 11 स्थलों पर मिट्टी के लवण एकवित्त का विश्लेषण किया गया है।
- vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सामान्य लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	13.45	31.28	60
PM ₁₀	58.22	70.84	100
SO ₂	8.14	31.85	80
NO ₂	8.22	19.53	80

- viii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	39.2	64.8	75
Night L _{eq}	36.71	58.91	70

जो उक्त लेवल के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से संतुलन पाये गये।

- ix. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्सेल डीजल वाहनों को सम्बन्धित करने वाले ट्रेडिग ऑपरेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना से 388.96 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं जी./सी अनुपात (MC 1000) 0.2983 है।

प्रस्तावित परियोजना उपरोक्त 17.3 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। उपरोक्त कुल 408.25 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं डी/सी अनुपात (MPC ratio) 0.27 होगी। विस्तार के उपरोक्त भी सी-मोनिटरिंग/डेटाकॉल के परिचालन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (very good) से नीचे है।

- a. जी.एल.सी. की गणना - खनन, लोडिंग-अनलोडिंग, भारी वाहनों / मशीन/वहन इवी वाहनों के परिवहन को सम्प्रेषित करते हुये जी.एल.सी. (G.L.C.s) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार अधिकतम $78.040 \mu\text{g}/\text{m}^3$ एवं न्युनातम $62.23 \mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जो कि निर्धारित राष्ट्रीय मानक सीमा से कम है।
 - b. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 29/07/2022, प्रायः 11.55 बजे, स्थान - ग्राम पंचायत भवन कारा, ग्राम-करा, तहसील-कुम्हा, जिला-सरगुजा में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर कदम नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 13/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
- a. खदान खुलने से हमारे गांव को प्रभाव होता है। बरिश नहीं होने की स्थिति में खदान में पड़े पानी को सिंचाई में उपयोग किये जाने की सहायता मिलती है।
 - b. खदान खुलने से हम लोगों को काफी लाभ हो रहा है। खदान खुलने से लोगों को रोजगार मिलता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न कथनों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- a. पेय जल तथा अन्य कार्य हेतु जल व्यवस्था के संबंध में रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना लगाई जाएगी तथा ग्राम समिति द्वारा लीये गये सिमेंटारिथी का समय पर प्रदान किया जाएगा।
- b. स्थानीय लोगों को उनकी फौजदा के अनुसार रोजगार पर रखा जाएगा। साथ ही गांव के बाह्य मामलों के खदान को सिंचाई पर समय रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- c. वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़कों पर निर्धारित रूप से पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कम किया जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत सुधारोपम किया जाएगा। खदान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे।
- d. वाहनों को ठक कर परिचालन किया जाएगा। कंट्रोल प्रोसेडिंग किया जाएगा। प्रोसेडिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत डिस्ट्रिक्ट लाईसेंस वाला से कराया जाएगा।

12. बलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आर्देडित खदान को शामिल करते हुए बलस्टर में कुल 4 खदानें आती हैं। अब बलस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य बनाएविल है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न कुल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल सिंचनाय, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 1.34 कि.मी.	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	
बलस्टर मार्ग से (884 नम) कुआरोंपन हेतु	कुआरोंपन (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	8,940	4,450	4,450	4,450	4,450
	पॉलिमिंग हेतु राशि	1,11,750	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,18,510	1,15,050	1,15,050	1,15,050	1,15,050
इन्फ्रास्ट्रक्चर नीतिद्वारा	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	
सड़कों / पट्टीय मार्ग से उत्पन्न कुल	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
हैलथ सेफ्टीय कॉम्प	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
कुल राशि = 23,21,700	8,98,800	4,49,200	4,49,200	4,49,200	4,49,200	

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहायिता निम्नानुसार होगी-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न कुल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल सिंचनाय, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 280 मीटर	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
हानि प्रतिरक्षण के विकास हेतु सामान्य मार्ग के दोनों तरफ (884 नम) कुआरोंपन हेतु	61,800	35,700	35,700	35,700	35,700

इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश हेतु	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
सड़कों / चूल्हों के संभारण हेतु कुल लम्बाई 200 मीटर	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
रेलवे प्रकल्प हेतु	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
कुल राशि = 5,08,200	1,22,000	95,800	95,800	95,800	95,800

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिचालन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के द्वारा विस्तार से कार्य समिति निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	3%	0.70	Following activities at nearby Govt. Primary School Village-karna	
			Installation of Separate Water Tank for Drinking	0.47
			Running Water Arrangement in Toilets	0.17
			Donation of Books related to Environment Conservation	0.10
			Total	0.74

- सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाचारक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- कमरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर निकासित कर संग्रहित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुसामोह न करने, विखर न करने एवं अन्य कार्यों से उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने, इस प्रकार निकासित कम्प्री मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ प्रमाण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- एक्सप्लोसिव का कार्य सी.पी.एन.एल. द्वारा अधिकृत डिप्लोमेटिक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सपथ पत्र जारीकरण किये जाने एवं रोपित पौधों का सार्वसम्यक रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना से दिन-दिन स्वर्ण से क्वॉलिटीय डनर उत्पादन होना, उन स्वर्ण पर नियमित जल डिस्ट्रिब्यूशन की व्यवस्था किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री मिन्सर्स द्वारा सीनाईंग का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. अतीसमय आदर पूर्वक नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, बाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंधु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चलायन का प्रकरण ललित नहीं है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान के लोडसुनवाई के दौरान जो भी आवृत्ति, गुरुत्व या मुद्दे उत्पन्न होंगे वे उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारी के अनुसार निराकरण किया जाएगा।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सन्तुला कलक्टर क्षेत्र के लिए प्रस्तुत किए गए संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए गठित पर्यावरणीय समिति के दिशानिर्देश एवं मिमरन्सी में अपनी भागीदारी के रूप में योगदान दिया जाएगा। साथ ही के पर्याप्त ही संयुक्त कलक्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन में पर्यावरण भागीदारी की सीमा तक भागीदारी करते हुए संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना को लागू करने हेतु योगदान दानि कार्य करते हुए अनुपालन किया जाएगा।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (C) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
35. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में पुनर्स्थापन कार्य के कोन्सिडरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु डि-जॉयंट समिति (ऑनसाइट/प्रतिनिधि, ग्राम संस्थाओं के सदस्यों/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अतीसमय पर्यावरण संरक्षण मण्डल के सदस्यों/प्रतिनिधि) गठित किया

जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुधारोपम का कार्य पूर्ण किया जाने के उपरांत नवित डि-पॉलीय समिति से संघटित कराया जाना आवश्यक है।

28. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट वेव, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण विवेक्य भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑनलाइन एप्लिकेशन नं. 188 जीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पत्रित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. उपरोक्त कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-सरगुजा के ग्राम क्रमांक 808/खनिज/खति.1/र.ए./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 23/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 27.875 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-कर्वा) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कर्वा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 28.875 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघटित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान सी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. एन.जी.आई. की किराया वृद्धि संबंधी जानकारी/पत्राचार प्राप्त कर एन.आई.ए.ए. अतीसमद में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की मांग अनुमोदा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कर्वा लाईन स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (प्री- सीमा की खति गुला) को ग्राम-कर्वा, तहसील-सुम्बू, जिला-सरगुजा के प्लॉट जीए क्रमांक 878/1 में स्थित कुल पत्थर (पीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-10,217 टन (4,088 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमोदा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.आई.ए.ए.), अतीसमद को तयानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स बयान ट्रेडर्स (पार्टनर- श्री चंदन कुमार), ग्राम-किचरी, तहसील-अकलता, जिला-जांजगीर-बांग (सचिवालय का पता क्रमांक 2388)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 434687 / 2023, दिनांक 05/04/2023 द्वारा टी.जी.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित ओपेनपिट (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-किचरी, तहसील-अकलता, जिला-जांजगीर-बांग, खसरा क्रमांक 844/2 एवं 844/8, कुल क्षेत्रफल-1,831 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,814 टन (15,390 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

उत्पानुसार परिषदेच्या प्रसावक की एम.ई.ए.सी. समीक्षण के ज्ञान दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(ख) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 23/08/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बंजन कुमार, पार्टीयर एवं श्री विवेक अग्रवाल, पार्टीयर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी सर्वोपलब्ध स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में सर्वोपलब्ध स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - अख्यान के संबंध में ग्राम पंचायत किरानी का दिनांक 17/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. अख्यान योजना - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-मेरठ के ज्ञान क्रमांक 260/खनिज/च.वी.अ./2022-23 क्रमांक दिनांक 03/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-जांजगीर-बांध के ज्ञान क्र. 544/गीन खनिज/न.क्र./2023 जांजगीर, दिनांक 20/02/2023 के अनुसार अनापत्ति खदान से 500 मीटर की मीटर अवस्थित 74 खदानें, क्षेत्रफल 120.229 हेक्टर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-जांजगीर-बांध के ज्ञान क्र. 543/गीन खनिज/न.क्र./2023 जांजगीर, दिनांक 20/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनिकट एवं पत्त आधुनिक रोजा आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नाला 150 मीटर दूर है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. मेसर्स स्वाम ट्रेडर्स, पार्टीयर श्री बंजन कुमार, श्री विवेक अग्रवाल एवं श्री बाल विमान सिंघानिया के नाम पर है। जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-जांजगीर-बांध के ज्ञान क्र. 1812/गीन खनिज/न.क्र./2021-22 जांजगीर, दिनांक 17/08/2023 द्वारा जारी की गई थी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष अर्थात दिनांक 18/08/2023 की अवधि तक थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परिषदेच्या प्रसावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि मेसर्स स्वाम ट्रेडर्स, प्रो.- श्री विवेक अग्रवाल एवं श्री बंजन कुमार के नाम पर है। साथ ही पार्टीयर श्री विवेक अग्रवाल, श्री बंजन कुमार एवं श्री बाल विमान सिंघानिया द्वारा पार्टीयरताय क्षेत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. रान विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय जनसंरक्षणधिकारी, जांजगीर-बांधा जनसंरक्षण, बांधा के ज्ञान क्रमांक/तक./1025 बांध, दिनांक

08/02/2021 द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवंटित क्षेत्र के निकटतम वन क्षेत्र से दूरी 1.3 कि.मी. है।

10. सहायपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी बाग-किराती 1.26 कि.मी., स्कूल बाग-किराती 1.26 कि.मी. एवं अस्पताल तारीद 2.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.26 कि.मी. एवं राजमार्ग 2.18 कि.मी. दूर है। लालाब 1 कि.मी., गाला 160 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विविधता संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबिंबित किया है।
12. खनन क्षेत्र एवं खनन का विवरण – विद्योत्पत्तिकर रिजर्व 12,66,180 टन, गार्निशल रिजर्व 4,27,328 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,669 वर्गमीटर है। खनन कार्य सभी सर्वेक्षण विधि से उत्खनन किया जाएगा। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,382 वर्गमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थानित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 2,803 वर्गमीटर है। जैक इनर से डिभिनिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,014
द्वितीय	38,741
तृतीय	40,014
चतुर्थ	40,014
पंचम	40,014

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का मास्टर/स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 60 वन वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. गैर साईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में कर्वालम हेतु 213 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर साईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख साईनिंग प्लान में किया गया है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवंटित वेसल्ट वेसल्ट चारसनाथ मिनरला में जाने वाली समस्त खदानों को कलक्टर ने शामिल करते हुए वेसल्टाईन आटा कलेक्टरन का कार्य दिसम्बर, 2022 से फरवरी, 2023 को करा लिया गया था। उक्त समय दिनांक 08/12/2022 को वेसल्टाईन आटा कलेक्टरन की सूचना दी गई थी। कर्वालम कलेक्टर (खनिज सख्त),

जिला-जालंधीर-बांग द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में प्रकृत खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उक्त कलेक्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. सट्टी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकाधिक बेसलाइन डाटा का उपयोग वन ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे समिति सहमत हुई।

18. माननीय एन.डी.टी., दिल्ली का वन, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पारंपरिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एपिलिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जालंधीर-बांग के दायरे अ. 544/सीएन खनिज/व.अ. /2023 जालंधीर, दिनांक 20/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 74 खदानें, क्षेत्रफल 120.229 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-विनारी) का रकबा 1.831 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-विनारी) को मिलाकर कुल रकबा 122.06 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्थित/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलेक्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकृत 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) सीए ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट वॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज सिंक्रोनिज इन्फार्मेट क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) वन स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) वन कोट गाइडिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-
 - i. Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iv. Project Proponent shall submit an undertaking that top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - v. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - ix. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.
 - x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
 - xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
 - xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
 - xvi. Project proponent shall submit the detail proposal of 7.5 meter safety zone, plantation for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintainance cost and irrigation cost etc.
 - xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण उन्माद आकलन प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रतीकपत्र को उपानुसार भूषित किया जाए।

6. पेशवा दिग्दीप मिल्सकीन लिमिटेड (दुर्गवाञ्चाम् आडिन्ली स्टोन टेम्पलरी परमित क्वीरी (21)), ग्राम-दुर्गवाञ्चाम्, तहसील-पल्लवगाम्, जिला-जसपुर (राजिशासक का नसीब क्रमांक 2273)

डीनलार्डिन आर्देन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 426021 / 2023, दिनांक 06/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सहायक कचरा (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-दुम्बावाजाना, तहसील-पलवलनाथ, जिला-जयपुर स्थित खसरा क्रमांक-233/1, 233/2 एवं 234(पोर्ट), कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित परावणन क्षमता-1,54,828.9 टन (81,084 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एल.डी.ए.सी., पल्लीसगड़ के डायन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजीव कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनामत प्रमाण पत्र - अख्यान के संकेत में ग्राम पंचायत चकरगांव का दिनांक 18/10/2022 का अनामत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परावणन योजना - टेम्परी परमिट जारी प्लान, इन्वायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं न्गारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जॉ जॉनिक अधिकारी, जिला-जयपुर के पु. डायन क्रमांक 804-808/ख.नि./सा./2023 जयपुर, दिनांक 24/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-जयपुर के डायन 758/ख.सा./2023 जयपुर, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.894 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-जयपुर के डायन क्रमांक 78/ख.सा./2023 जयपुर, दिनांक 10/05/2023 द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, परिवार, मण्डप, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। घासीन कच्चा सड़क 180 मीटर दूर है।
6. एल.डी.आई. संबंधी विवरण - एल.डी.आई. मेसर्स दिलीप बिल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारवा), जिला-जयपुर के डायन क्रमांक 822/ख.नि.सा./2023 जयपुर, दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी शर्तों जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 233/1 की जयराज एकाद एवं श्री जोसेफ एकाद, श्री ब्याडिकुन, श्रीमती गिनी एवं श्रीमती ललितबा, खसरा क्रमांक 233/2 की मिल्कु एवं खसरा क्रमांक 234 श्री सुखलाल, सुश्री गंगा के नाम पर है। परावणन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।





9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कर्नाटक वन्यजन्तुविभाग, बरसूर वन्यजन्तु, जिला-बरसूर के प्रमाण प्रमाण/मा.पि./2022/584। बरसूर, जिलांक 19/12/2022 को जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसंधान अभिहित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 700 मीटर की दूरी पर है।

10. महालपूर्ण संरक्षणार्थी की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-तुरुवाजामा 400 मीटर, सड़क ग्राम-तुरुवाजामा 600 मीटर एवं जलवाताप पारकलगांव 6.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 800 मीटर एवं राज्यमार्ग 5.45 कि.मी. दूर है। कुली नदी 5.8 कि.मी. एवं मेरी नदी 11.85 कि.मी., गाला 3.6 कि.मी., गल 3.55 कि.मी. एवं लालव 1.7 कि.मी. दूर है।

11. परिसिध्दिकीय/जीवसिध्दिकीय संरक्षणार्थीय क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिस्की पील्फुटेज रुबिया, परिसिध्दिकीय संरक्षणार्थीय क्षेत्र या घोषित जीवसिध्दिकीय क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रसिध्दित किया है।

12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - जियोसिध्दिकीय सिद्धि 8,48,167 टन, माईनेबल सिद्धि 3,48,248 टन एवं रिजर्वेबल सिद्धि 3,28,805 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी (उत्खनन के लिए प्रसिध्दित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,715 वर्गमीटर है। औद्योगिक कार्य के लिए माईनेबल सिद्धि में उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर (लिज लीज 5 मीटर एवं माईनेबल 30 मीटर) है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 0.25 मीटर है तथा कुल मात 1,821.25 घनमीटर है, जिसमें से 882 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी (उत्खनन के लिए प्रसिध्दित क्षेत्र) में वापस प्रदान किया जाएगा। ओवर बर्न की गहराई 0.75 मीटर एवं मात 5,483.75 घनमीटर है, जिसमें से आसपासतानुसार ओवर बर्न का उपयोग रीफ व कचरा निर्माण तथा घट्टीय मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा। लीज ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्न की लीज क्षेत्र के बाहर सहजता प्राप्त भूमि (जिसका प्रमाण 218/8, क्षेत्रफल 1,200 वर्गमीटर) में प्रसिध्दित कर संयोजित रखा जाएगा। लीज की गहराई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संयोजित आयु 02 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लीज क्षेत्र से डिजिटल एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जाल का प्रयोग किया जाएगा। वर्षाकर प्रसिध्दित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,84,031.75
द्वितीय	1,84,826.80
कुल	3,28,858.55

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात 8.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति कोलेक्ट व माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपस्थिति हेतु सेंट्रल डायरेक्ट बोर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. प्रस्तावित कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में कार्य और 7.5 मीटर की घट्टी में 034 नम प्रस्तावित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की भीतर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृत संरक्षण क्षेत्र के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रत्येक निवेशन हेतु परिवहन के दौरान साइडो/पट्टेय मार्ग से सड़कन पुल अलगाव के निवेशन हेतु एक सिद्धांत		80,000	80,000	—	—	—
खदान के में काठमांडू (534 नगर) पुनरोपल हेतु	पुनरोपल (अ) प्रतिफल जीवन दरु हेतु राशि	82,400	—	—	—	—
	कर्मिण हेतु राशि	45,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 10,31,900		3,15,100	2,18,700	1,85,700	1,85,700	1,85,700

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उखलान – सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उखलान कार्य नहीं किया गया है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के संकेत विचार से कार्य पर्याप्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.43	2%	40.86	Following activities at Govt. Primary School Shawan Village- Kachhar	
			Plantation	0.43
			Total	0.43

17. सी.ई.आर. के उद्योग स्कूल परिसर में (बांझला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) पुनरोपल हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नव पीढ़ी के लिए राशि 500 रुपये खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 8,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 32,500 रुपये हेतु पर्यवेक्षण व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

18. सी.ई.आर. के उद्योग प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहयोग प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।

19. पर्यावरणीयता के दौरान परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित स्थल पर वन एवं स्कूल प्रजाति के छोटे पौधे तथा जमींदार झाड़ियाँ हैं। उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का बड़ा वृक्ष नहीं है। समिति द्वारा प्रस्तुत माइनिंग प्लान में उल्लिखित अक्षांश एवं देशांश के अक्षर पर नृपल के माध्यम से कोरमएल

- काईल में देखे जाने पर लीज क्षेत्र में कुछ कुछ खड़े होने प्रतिबद्ध हो रहा है।
 समिति का मत है कि बहुत आवश्यक होने पर ही जमत कृषी की कटाई करना
 अधिकारी से अनुमति अवगत ही की जायगी।
20. आवेदित खदान को 7.5 मीटर की इतित पट्टी में प्रस्ताव अनुसार सति का
 उपयोग करने हुए कुशलपूर्ण किया जाएगा। रीपित पौडी का 5 वर्ष तक उचित
 देखभाल व रख-रखाव करने हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संतुष्टि सुनिश्चित
 किया जाएगा। इस आशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया
 गया है।
 21. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर.
 प्रोजेक्ट की सति का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करने हुए माननीय समिति को
 समझ प्रस्तुत किये एवं प्रोजेक्ट में ही कार्य किये जाने बाबत समझ पत्र
 (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 22. कार्य किये एवं सति की क्षेत्र की जानकारी कार्य की जानकारी Latitude-
 Longitude फोटोग्राफ एवं NMA, काईल सहित पर्यावरण स्वीकृति के फालन
 प्रतिवेदन में दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आफसे द्वारा ही यह
 अनुशासनात्मक/कानूनी कार्यवाही के लिए मैं बध्य रहूँगा। इस आशय का
 समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 23. इसी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सी.ई.टी. जोन में 1 मीटर कीचड़ तक
 भंडारित कर संतुष्टि रखे जाने हेतु, मिट्टी का कुलपयोग न करने, खिलान न
 करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग
 कुलपयोग हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/प्रमाण
 के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking)
 प्रस्तुत किया गया है।
 24. एक्सप्लोसिव का कार्य सी.पी.एम.एस. द्वारा अधिकृत लिसेंसहोल्डर जाईरिंग वालन
 (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized
 undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 25. इसीबाबत अवगत पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों की रोजगार किये जाने
 हेतु समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 26. परियोजना के दिन-दिन कार्यों से पर्याप्तितर अस्त उत्सर्जन होगा, उन कार्यों
 पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized
 undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर साधन कुशलपूर्ण किये जाने एवं रीपित पौडी का
 सत्याईयत पर (Survival case) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ
 पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निष्कर्ष के तहत बालगुड़ी मिलररी द्वारा
 रीभासन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized
 undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्रकृतिक
 जल स्रोत, गालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने
 बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

File

D

30. परिशिष्टित प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण वेब के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
31. परिशिष्टित प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से प्रमाणित सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वोद्यम, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियुक्तता क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 से अंतर्गत कोई प्रस्ताव का प्रकरण लंबित नहीं है।
32. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस संबंध में सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 06/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 (2014) common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विना निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस संबंध में सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 1.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुधारोपम कार्य को मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के महाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जमींदार/ महापंचायत संघ/समूह के महाधिकारी/प्रतिनिधि) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1.5 मीटर की सीमा पट्टी में सुधारोपम का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त त्रि-पक्षीय समिति से प्रमाणित करना आवश्यक है।
35. माननीय एन.डी.टी., डिप्टी कमिश्नर, नई दिल्ली द्वारा सस्टेबल वास्तव्य विरुद्ध नाला सरकार, पर्वोद्यम, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 जीओ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. कार्यालय कारेक्टर (अनिच रास्ता), जिला-जयपुर के ज्ञापन 768/स.आ./2023 जयपुर, दिनांक 31/03/2023 से अनुमानित आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.994 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-तुलुवाखण्डा) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-तुलुवाखण्डा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.994 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में सर्वोत्तम/समाहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स दिल्लीय चिल्ड्रेन लिमिटेड (तुलुवाखण्डा अधिनियम स्टोन टेन्वरी समिति क्वार्टी (01)) को ग्राम-तुलुवाखण्डा, तहसील-पञ्चलगौर, जिला-जयपुर के खसरा क्रमांक-233/1, 233/2 एवं 234(पाट) में निम्न सहायक पत्तन (पीन खनिज) खदान, कुल





क्षेत्रफल—1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता — 3,28,000 टन से अधिक न हो, हेतु परिशिष्ट—06 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकल्प (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स दिल्ली मिलडर्किन लिमिटेड (दुग्धवाद्याना अर्बिनची बटोन टेम्पली परमिट क्वारी (022), प्लान—दुग्धवाद्याना, तहसील—पलवलगांव, जिला—जसपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2374)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425025/ 2023, दिनांक 08/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

खदान का विवरण — यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (पीन खनिज) खदान है। खदान प्लान—दुग्धवाद्याना, तहसील—पलवलगांव, जिला—जसपुर स्थित खदान क्रमांक—243/2, 219/12/ग, 219/12/घ, 219/12/च एवं 219/12/ङ, कुल क्षेत्रफल—0.994 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित परावहन क्षमता—1,00,000 टन (37,073.70 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 23/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्का प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — परावहन के संबंध में ग्राम पंचायत पलवलगांव का दिनांक 18/10/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परावहन योजना — टेम्पली परमिट क्वारी प्लान, इनकारोमिट केनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सचि आधिकारी, जिला—रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 812-814/स.सि./स्वा./2023 रायगढ़, दिनांक 24/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज साधन), जिला—जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 754/ख.सा./2023 जसपुर, दिनांक 31/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज साधन), जिला—जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 75/ख.सा./2023 जसपुर,

- दिनांक 10/06/2023 द्वारा जारी संशोधित प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र का क्षेत्रफल 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघाट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनिकाट, बांध एवं जल आपूर्ति अदि प्रतिबंधित क्षेत्र निम्न नहीं है। समीप काका लड़क 10 मीटर दूर है।
6. एल.जी.आई, संशुद्धी विभाग - एल.जी.आई, मेमर्स वितीय विन्डकॉन डिप्टिड के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सखा), जिला-जलपुर के प्रमाण क्रमांक 821/खनिजा./2023 जलपुर, दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिलाकी कैलाज जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
 7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 243/2, 219/12/घ एवं 219/12/घ की होलसाय एवं की खसरा, खसरा क्रमांक 219/12/घ की कसताय एवं खसरा क्रमांक 219/12/घ की नानु के नाम पर है। खसतनन हेतु भूमि स्वामिनी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलमिस्त्री, जलपुर वनमण्डल, जिला-जलपुर के प्रमाण क्रमांक/मा.धि./2022/5641 जलपुर, दिनांक 19/12/2022 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार अवैधित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 700 मीटर की दूरी पर है।
 10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-तुसवाडाना 350 मीटर, स्कूल ग्राम-तुसवाडाना 400 मीटर एवं अस्पताल पत्तलगाव 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 880 मीटर एवं राजमार्ग 880 कि.मी. दूर है। बुढ़ी नदी 8 कि.मी. एवं सेरी नदी 11.7 कि.मी., नाला 4 कि.मी., नहर 3.85 कि.मी. एवं तालाब 1.5 कि.मी. दूर है।
 11. परिसिध्दिकीय/जैवसिध्दिकीय संरक्षणीय क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट पौल्यूटेड एरिया, परिसिध्दिकीय संरक्षणीय क्षेत्र या घोषित जैवसिध्दिकीय क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
 12. खनन संसाधन एवं खनन का विवरण - जियोलेजिकल रिजर्व 8,38,760 टन, साईनेबल रिजर्व 2,10,708 टन एवं रिक्वायरेड रिजर्व 2,00,172 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी (खसतनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,880 वर्गमीटर है। खोला कल्ट सीनी मेकनाईज्ड विधि से खसतनन किया जाएगा। खसतनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,737.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,048 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी (खसतनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पीलाकर नृक्षारोपण किया जाएगा। ओवर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर एवं मात्रा 8,212.5 घनमीटर है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओवर बर्डन का उपयोग रेन्ड व बण्ड निर्माण तथा पट्टीय मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा। क्षेत्र ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 219/2, क्षेत्रफल 1,200 वर्गमीटर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। क्षेत्र की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खसतनन की संभावित आयु 02 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खसतन

स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर में डिजिटल एवं ऑनलाइन स्टाफिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन करा जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित रखरखाव का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित खर्च (₹)
प्रथम	1,00,000
द्वितीय	1,00,000
कुल	2,00,000

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरेल के माध्यम से की जाएगी। सू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल वायुमंडल बोर्ड अखीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्राप्त किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 888 गम वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण		प्रथम वर्ष (₹)	द्वितीय वर्ष (₹)	तृतीय वर्ष (₹)	चतुर्थ वर्ष (₹)	पंचम वर्ष (₹)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान साइकी/पट्टी चार्ज से उत्पन्न सूज उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल सिंचन		50,000	50,000	-	-	-
खदान क्षेत्र में (588 वृक्षारोपण हेतु)	वृक्षारोपण (30 इंचियात लीज पर) हेतु रजि. फीसिंग हेतु रजि.	58,800	-	-	-	-
	खार हेतु रजि.	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400
	सिंचाई एवं सड़-रखाव हेतु रजि.	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
	कुल रजि. = 10,55,800	3,28,200	2,19,400	1,69,400	1,69,400	1,69,400

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रखरखाव - लीज क्षेत्र के बायीं ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखरखाव कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उत्पन्न निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.41	2%	0.4082	Following activities at Govt. Middle School	

			Village- Pangarua
			Installation of separate water tank for drinking & Soak Pit
			0.32
			Donation of books related to Environment Conservation
			0.10
			Total
			0.42

17. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) की ओर से कार्य, ग्राम पंचायत पंगरुआ का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिषदेजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित स्थल पर बेर एवं कबूत प्रजाति के छोटे पौधे तथा काटेदार झाड़ियाँ हैं। उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का बड़ा वृक्ष नहीं है।
19. आवेदित स्थान की 7.5 मीटर की इरिग चट्टी में प्रस्ताव अनुसार सक्ति का उपयोग करते हुए पुनरोपवन किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक सक्षित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 60 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. पर्यावरण सौकरुति प्राप्त हो जाने के बावजू प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रोजेक्ट की सक्ति का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के सम्म प्रस्तुत किये गए प्रोजेक्ट में ही कार्य किये जाने बाबजू सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. कार्य किये गए सक्ति की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude कोटीकाक एवं S.M.A. कार्ड्स सहित पर्यावरण सौकरुति के पालन प्रतिवेदन में दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आगके द्वारा ही सर्व अनुशासनसम्बन्ध/कैथनिक कार्यकारी के लिए भी सत्य रहूँगा। इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. सक्ती मिट्टी को लीज क्षेत्र के अन्दर सक्ती ज़ोन में 1 मीटर ऊँचाई तक संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुसवोध न करने, विकस्य न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्राप्त हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकारी/अधिकारी को उनके निरीक्षण/प्रमाण के दौरान निरीक्षण करने जाने बाबजू सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. स्फारिंटिंग का कार्य सी.जी.एम.एम. द्वारा अधिकृत विन्थोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबजू सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. प्रतीसम्बद्ध आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्वानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परिषदेजना से जिन-जिन स्थलों से क्युलिटिड जस्ट उपलब्ध होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिककाव की व्यवस्था किये जाने बाबजू सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर वाहन कृषादेयता किये जाने एवं सीमित पीसी का सत्याईकृत रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा खनिज नियंत्रण के तहत बावन्गी मिल्वरी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का खनिज खनन का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
29. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रस्तावना या प्रकरण लंबित नहीं है।
30. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जाएगा इस बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 बीटर की सीमा पट्टी में कृषादेयता कार्य के सीस्टिमिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रेनरहाइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या इलाहाबाद पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 बीटर की सीमा पट्टी में कृषादेयता का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
33. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंब, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय पारम्परिक विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपरिजनाल एपिलेसन नं. 186 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided,
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय असेक्टर (संविद्य साक्षात्), जिला-जयपुर के ज्ञापन क्रमांक 754/स.सा. /2023 जयपुर, दिनांक 31/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (घाम-तुलुवाखाम) का क्षेत्रफल 0.994 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-तुलुवाखाम) को मिलाकर कुल रकबा 2.994 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का बराबरे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदन - मेसर्स दिलीप बिल्डरजीन लिमिटेड (तुलुवाखाम अर्द्धिनी स्टोन टेम्परी परमिट क्वारी (02)), घाम-तुलुवाखाम, तहसील-पल्लवाग, जिला-जयपुर के खसरा क्रमांक 243/2, 219/12/ग, 219/12/घ, 219/12/घ एवं 219/12/ड में स्थित साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.994 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल उत्पादन-2,00,134 टन से अधिक न हो, हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

साम्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स दिलीप बिल्डरजीन लिमिटेड (तुलुवाखाम अर्द्धिनी स्टोन टेम्परी परमिट क्वारी (03)), घाम-तुलुवाखाम, तहसील-पल्लवाग, जिला-जयपुर (संविद्यालय का पत्ती क्रमांक 2375)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एसआईएन/ 425029/ 2023, दिनांक 08/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

खसरा का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान घाम-तुलुवाखाम, तहसील-पल्लवाग, जिला-जयपुर स्थित खसरा क्रमांक 222/1, 222/3, 219/9/ग, 219/9/घ एवं 222/1, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-78,387 टन (29,402.88 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 23/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजीव कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्ती, प्रस्तुत जानकारी का आकलन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. खान संघात का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्पादन की संघे में घाम पंचायत पाकनगाव का दिनांक 18/10/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **सखानन योजना** - टेम्पलेट बनवित करावी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्लान एन्ड करावी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अडिवाही, जिला-जयपूर के प्लान क्रमांक 808-810/ख.नि./ख.रा./2023 जयपूर, दिनांक 24/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्पोरेट कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जयपूर के प्लान क्रमांक 732/ख.रा./2023 जयपूर, दिनांक 21/03/2023 से अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 2 खदानें, कुलकुल 1.204 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्पोरेट कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जयपूर के प्लान क्रमांक 77/ख.रा./2023 जयपूर, दिनांक 10/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनोकाट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। इतनीच कच्चा सड़क 170 मीटर दूर है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** - एल.ओ.आई. मेसर्स डिलीप क्लिंकरीन लिमिटेड के नाम पर है, जो कार्पोरेट कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जयपूर के प्लान क्रमांक 820/ख.नि.ख./2023 जयपूर, दिनांक 08/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **पू-स्वामित्व** - भूमि ससत क्रमांक 222/1 एवं 219/9/क सुभी समसुवारी व श्री विष्णु, ससत क्रमांक 222/1 श्रीमती निहारी बाई, खसरा क्रमांक 222/3 श्रीमती मालती देवी, सुभी सुनील, श्री विष्णु व श्री विक्की एवं खसरा क्रमांक 219/9/क श्री गुरदाई के नाम पर है। सखानन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्पोरेट वनस्पतलधिकारी, जयपूर वनस्पतल, जिला-जयपूर के प्लान क्रमांक/वा.वि./2022/5541 जयपूर, दिनांक 19/12/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 700 मीटर की दूरी पर है।
10. **नजदगुर्न संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी घाम-तुसकडामा 350 मीटर, स्कूल घाम-तुसकडामा 450 मीटर एवं अस्पताल पत्थलगांव 9.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 800 मीटर एवं राज्यमार्ग 5.8 कि.मी. दूर है। बुली नदी 5.80 कि.मी. एवं मेरी नदी 11.55 कि.मी., नाला 3.6 कि.मी., नहर 3.55 कि.मी. एवं तालाब 1.5 कि.मी. दूर है।
11. **परिस्थितिकीय/जैवविकिराता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रताकक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमवालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंकरी पील्सुटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकिराता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. **खान संपदा एवं खान का विवरण** - जियोलाजिकल रिजर्व 3,78,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,11,728 टन एवं क्लिंकरीबल रिजर्व 1,08,138 टन है। खान की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (सखानन के लिद् प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुलकुल

4,100 वर्गमीटर है। ओवर कास्ट सेमी सेमीनाईज्ड विधि से उलखनन किया जाएगा। उलखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,475 घनमीटर है, जिसमें से 1,438 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उलखनन के लिए अतिरिचित क्षेत्र) में पीलाकर कृषारोपण किया जाएगा। ओवर बर्टन की मोटाई 0.75 मीटर एवं मात्रा 4,425 घनमीटर है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओवर बर्टन का उपयोजन रैम्प व कण्ड निर्माण तथा पहुँच मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा। रैम्प ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्टन को लीज क्षेत्र के बाहर सहजता प्राप्त भूमि (खसत क्रमांक 216/2, क्षेत्रफल 1,440 वर्गमीटर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। रैम्प की चौड़ाई 3 मीटर एवं लंबाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 02 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खदान स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेम से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रमव जाएगा। सर्वेकार प्रस्तावित उलखनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उलखनन (टन)
प्रथम	20,678
द्वितीय	79,387
कुल	1,00,065

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति कोयला के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोजिता हेतु सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. कृषारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 810 नम कृषारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान बाल्टी/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल सिंक्रमव	50,000	50,000	-	-	-
खदान के लिए (810 वर्ग) कृषारोपण हेतु	कृषारोपण (30 प्रतिशत लीज दर) हेतु राशि	81,000	-	-	-
	ड्रिलिंग हेतु राशि	58,000	-	-	-
	रैम्प हेतु राशि	40,500	40,500	40,500	40,500
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 11,51,500	3,79,500	2,30,500	1,80,500	1,80,500	1,80,500

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रखरखन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में रखरखन कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30.43	2%	0.408	Following activities at Govt. Primary School Village- Katangjor	
			Installation of separate water tank for drinking water	0.15
			Pipeline sanitary ware, installation, Soak pit in School Toilet	0.20
			Donation of Books related to Environment Conservation	0.10
Total			0.45	

17. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) की ओर से सत्यमेव जयते संस्थान काटंगजोर का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित स्थल पर बेर एवं कबूल प्रजाति के छोटे पौधे तथा काटेदार झाड़ियाँ हैं। उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का बड़ा वृक्ष नहीं है।
19. आवेदित खदान की 7.5 मीटर की इति पट्टी में प्रस्ताव अनुसार सड़ि का उपयोग करते हुए कुआरूपन किया जाएगा। सड़ि पट्टी का 5 वर्ष तक सड़ि देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आश्वास का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बावजूत प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रोजेक्ट की सड़ि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रोजेक्ट में ही कार्य किये जाने बाबजूत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. कार्य किये गए सड़ि की क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude, फोटोग्राफ एवं HBM, क्लॉस सहित पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में दिया जाएगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपसे दाना दी गई

अनुसंधानात्मक/कैलनिक कार्यवाही के लिए मैं बाध्य रहूंगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. अपनी मिट्टी को सीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जॉन में 1 मीटर ऊंचाई तक संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का कुलपयोग न करने, विखन न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भाज हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण को हीरान्त निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक अतिरिक्त रिमोटक आईसीस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. अतीव्यक्त आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पपुलिटेड इस्ट उत्खनन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल निष्कास की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. माईनिंग सीज क्षेत्र के अंदर सखन कुलपेण किये जाने एवं रचित पीछी का सनसाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियंत्रण के तहत बाजम्बूरी मिलर्स द्वारा सीजकरण का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्रकृतिक जल स्रोत, खाल, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई ग्यावालपीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लभित नहीं है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटिस से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, मन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.जा. 804(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लभित नहीं है।
31. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को with petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विना निर्देशों का पालन किया जायेगा। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. समिति का मत है कि सीईआर कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुलपेण कार्य को मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु वि-जीव समिति

(प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम संघाया के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन वा उत्तरीसखंड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) पठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में सुसंगठन का कार्य पूर्ण करने के उपरंत पठित डि-प्लीन समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

34. भारतीय एन.जी.टी., डिप्लोम बेच, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अप्रीजमल एरिआलेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पठित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्पोरेशन कन्सेक्टर (खनिज खाना), जिला-जहपुर के ज्ञापन क्रमांक 752/ख.रा. /2022 जहपुर, दिनांक 31/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अन्वेषित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1,004 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-तुकवाआमा) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-तुकवाआमा) को मिलाकर कुल रकबा 2,004 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स दिल्लीय मिलकरीय लिमिटेड (तुकवाआमा अधीनगी स्टील टेम्पररी परमिट क्वारी (03)), ग्राम-तुकवाआमा, तहसील-पधलगांव, जिला-जहपुर के खतरा क्रमांक 222/1, 222/3, 219/9/क, 219/9/ख एवं 222/1 में स्थित सखारण पथर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 3 वर्षों में कुल उत्पादन-1,08,083 टन से अधिक न हो, हेतु परिशिष्ट-07 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीसखंड को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स फेरम इयुअर प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक- श्री वैभव सिंघानिया), ग्राम-कोनारी, तहसील-तिल्वा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नक्शा क्रमांक 2328)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनसी/ 420225 / 2023, दिनांक 07/04/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परिशोधना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-कोनारी, तहसील-तिल्वा, जिला-रायपुर, प.इ.न. 13, पार्ट ऑफ खतरा क्रमांक 7 एवं 8, कुल क्षेत्रफल-8,188 हेक्टेयर में नि-वेल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (स्टील पाईप) क्षमता-30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परिशोधना का विनिर्माण खर्च 11 करोड़ होगा।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के इापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 48वीं बैठक दिनांक 23/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अमित चौहान (मिनेअर), अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. जल एवं वायु सम्पत्ति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा नि-वीज गटील प्रोजेक्ट (गटील पाईप) क्षमता-30,000 मीट्रिक टन प्रतिघंटा हेतु जल एवं वायु संभालन सम्पत्ति दिनांक 13/04/2023 को जारी की गई, जो कि उत्पादन प्रारंभ मंड के इापन दिन से 12 माह की अवधि तक वैध है।
- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के इापन दिनांक 04/05/2023 के माध्यम से मेसर्स फेल ट्यूब ड्राईवेट लिमिटेड, प.ड.न. 13, पार्ट 10क खसरा क्रमांक 7 एवं 8, (कुल रकबा-5.885 हेक्टेयर), ग्राम-कोवारी, तहसील-तिलवा, जिला-रायपुर (छ.ग.) हेतु भूमि खसरा नंबर एवं कुल रकबा के समावेश/संशोधन कलें हुने पर जारी किया गया।
- पूर्व में जारी सम्पत्ति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुयन पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उद्योग स्थापना का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उद्योग का संभालन प्रारंभ नहीं किया गया है।

3. निकटतम स्थित क्रियाकलापी संबंधी जानकारी –

- राष्ट्रीय अबादी नकली खपती 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम फेले स्टेशन बैकुण्ठ 3.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विकल्पित विमानखलन, नाम, रायपुर 33 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.5 कि.मी. है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोन्पुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित वैश्विकीकृत क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. छत्तीसगढ़ स्टेट इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 24/11/2021 के द्वारा खसरा क्रमांक 7(पार्ट), प.ड.न. 13, क्षेत्रफल 3.187 हेक्टेयर हेतु भूमि को लीज मेसर्स फेल ट्यूब ड्राईवेट लिमिटेड के नाम पर जारी की गई है, जिसकी शर्त दिनांक 23/11/2120 तक है तथा दिनांक 18/12/2022 के द्वारा खसरा क्रमांक 7(पार्ट) एवं 8(पार्ट), प.ड.न. 13, क्षेत्रफल 1.888 हेक्टेयर हेतु भूमि को लीज मेसर्स फेल ट्यूब ड्राईवेट लिमिटेड के नाम पर जारी की गई है, जिसकी शर्त दिनांक 18/12/2121 तक है।

5. **लैंड यूज प्लानिंग –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)
1.	Cold Rolling Mill Area	4,000.0
2.	Hot Rolling Mill Area	4,000.0
3.	Raw Material Area	530.0
4.	Finished Goods Area	530.0
5.	Parking	280.0
6.	Green Belt	17,110.5 (33%)
7.	Road Area	532.0
8.	ETP Area	400.0
9.	Open Area For Future Expansion	24,487.5
Total		51,880

6. **री-रोलिंग –**

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets/ Ingots	31,800	Open Market	Road

Material Balance:-

Input	Quantity (TPA)
Billets/ Ingots	31,800
Output	Quantity (TPA)
Re Rolled Products	30,000
Mill Scale	800
End Cutting	700
Burning Loss	300
Total	31,800

7. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –**

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re- Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled Steel products – 30,000 TPA

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – रेगुलर्डेडन ऑफ रि-रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकत्र एच 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यस्थल पर्याप्त चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का कंसर्जन 50 मिलिग्राम/क्युबिक मीटर रखा जाएगा। फ्लुविटीय जस्ट कंसर्जन नियंत्रण हेतु जल सिंक्रास की व्यवस्था प्रस्तावित है।

9. **ठोस अपशिष्ट उपसहन व्यवस्था –**

Solid & Hazardous Waste Generation & its Disposal :

S.No.	Waste	Quantity	Management
1.	Mill Scale	800 TPA	Sold to Nearby by Steels Industry
2.	End Cutting	700 TPA	
3.	Used Oil from DG Set	0.1 KL/annum	Given to authorized recycler

10. जल प्रबंधन व्यवस्था -

• जल खपत एवं स्नैक - परिवर्धना हेतु कुल 10 घनमीटर वन टाईन वॉटर हिमालय है। प्रेश वॉटर कुल 4 घनमीटर प्रतिदिन (ऑटोमैटिक उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, कृषारीपण एवं डस्ट सप्लाय हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं परेशु उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति भारतीय नदी स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु भारतीय नदी स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से दिनांक 23/08/2022 की अनुमति पत्र की प्रति संश्लि की गई है।

• जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - ऑटोमैटिक प्रक्रिया (क्यूलिंग वॉ) से दूषित जल संचयन होता है। दूषित जल को ठंडा कर पुनः क्यूलिंग हेतु उपयोग में आया जाएगा। परेशु दूषित जल को उपचार हेतु सेंट्रिकल टैंक एवं सॉक पॉट की स्थापना की जाएगी। शुन्य निस्साराज की स्थिति रखी जाएगी। जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत विवरण (विश्व वॉटर कैंपेस चार्ट) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

• मू-जल उपयोग प्रबंधन - परिवर्धना स्थल सेंट्रल प्रायमरी वाटर बोर्ड की अनुमति सिक जॉन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) वृक्ष एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःसंचयन एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) प्रायमरी वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्बेस्टिंग / ऑटोमैटिक जल रिचार्ज के अन्तर्गत मू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल प्रायमरी वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उपयोग द्वारा परिहार में रेनवाटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

11. रेन वॉटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था - रेन वॉटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था प्रस्तावित होना सहायक सहा है। समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था हेतु विस्तृत योजना वन जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. विद्युत आपूर्ति स्नैक - परिवर्धना हेतु कुल 3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति भारतीय नदी राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वार्षिक व्यवस्था हेतु 500 को.वी.ए. का डी.जी. वॉट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

13. कृषारीपण संबंधी जानकारी - हरित परियोजना के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल को 1.71 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 4,300 वर्ग कृषारीपण किये जाने का प्रस्ताव है। समिति का मत है कि कृषारीपण (पीपी के संख्या सहित) हेतु पीपी का संचयन, सुरक्षा हेतु पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार बजटवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. रेन वॉटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था - रेन वॉटर हार्बेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

Handwritten signature

Handwritten mark

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 से मई 2023 तक किया गया। उक्त के संकेत में दिनांक 23/05/2023 को सूचना दी गई थी। समिति का मत है कि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सूचना देना चाहिए था।

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टीयरड रोलर्स ब्रीक रिफ़िनिश (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निस्कारण इन्वायरनमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 3(ए) का स्टीयरड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इन्डस्ट्रीज (सेक्टर एण्ड नॉन-सेक्टर) हेतु निम्न अधिनियम टीओआर के साथ जारी किने जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall submit the plant layout plan with XML file.
- ii. Project proponent shall submit certified compliance report for consent from Chhattaгарh Environment Conservation Board.
- iii. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 10 to 15m wide green belt all along the periphery of the project area & make green belt of atleast 33% of the total area.
- iv. Project proponent shall submit the requirement of water alongwith water balance chart mentioning domestic usage, industrial usage, plantation purpose, dust seppression purpose etc.
- v. Project proponent shall submit the detail of pulverised coal with its ash content & its ignition temperature.
- vi. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier (if any) along with its capacity use in reheating furnace.
- vii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
- viii. Project proponent shall submit DFO certificate if any wildlife schedule species comes under 10 km radius, then approved wildlife conservation plan shall be submitted at the time of EIA.
- ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

- x. EIA study shall be done at minimum 5 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- xiv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिक्रिया (एसाईआईएए), उत्तीर्णता को तयानुसार सुचित किया जाए।

10. **सेक्टर डीम्बडानीरान-1 सेक्टर माईन (सामर्थ, ग्राम पंचायत अटुकमाली), ग्राम-डीम्बडानीरान, तहसील-बोचलपटनम्, जिला-बीजापुर (सर्विकल्प का नमती इलाक 2377)**

डीम्बडानीरान आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425459/ 2023, दिनांक 08/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (पीग खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डीम्बडानीरान, तहसील-बोचलपटनम्, जिला-बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा इलाक 1, कुल क्षेत्रफल-71.308 हेक्टेयर में से 2.028 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इटावली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता-40,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तयानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, उत्तीर्णता से ज्ञान दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु बीमारी विनोदा कोमल, सरपंच, ग्राम पंचायत अटुकपाली उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - रेल उत्खनन के संघ में ग्राम पंचायत अटुकपाली का दिनांक 23/01/2023 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्यासित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्यासित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - स्वामी प्लान एंजिन थिथ स्वामी क्लोजर प्लान थिथ इन्वायर्समेंट सेक्टरमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प्र.), जिला-उत्तर बलार कांठर के द्वारा क्रमांक 841/खनिज/उत्ख.योजना./रेल/2023-24 रा. ब. कांठर, दिनांक 06/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के द्वारा क्रमांक /188/कले./खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 06/04/2023 के अनुसार अधोदित खदान में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेल खदानों की संख्या निम्न है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के द्वारा क्रमांक /188/कले./खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 06/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पूल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद एवं एरीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. सरपंच, ग्राम पंचायत अटुकपाली के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के द्वारा क्रमांक 188/कले./खनिज/रे.ख./2023 बीजापुर, दिनांक 31/03/2023 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है। जारी एल.ओ.आई. में "रेल हेतु उत्खनन मट्टा किलेख के परीक्षण दिनांक से 6 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन मट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित सर्तों के पूर्ण हेतु यह आवश्यक पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभागी, बीजापुर वनसंरक्षण, जिला-बीजापुर के द्वारा क्रमांक /13.अ./2023, दिनांक 28/02/2023 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र की 5 कि. मी. की परिधि में कोई भी अभयारण्य/टाईगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **सहस्रवृक्ष संरक्षणार्थ की दूरी** - निकटतम आवसी ग्राम-कोसलीराम 828 मीटर, स्कूल ग्राम-अटुकपाली 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 15 कि.मी. है। सर्वोत्तम रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इण्डियानी पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
12. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 580 मीटर, न्यूनतम 550 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 182 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 114 मीटर, न्यूनतम 108 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 55 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई-3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई-2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधित साईमिंग प्लान अनुसार खदान में साईमिंग रेत की मात्रा-40,400 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर वार्षिक वार्षिक गहराई का मापन कर, अभिलेख विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध सीमा गहराई 3.64 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु योजना प्रस्तुत किया गया है।
14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलिंग** - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के चिह्न किण्वुली पर दिनांक 08/04/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलिंग (Leveling) लेकर, उन्हें अभिलेख विभाग से प्रमाणीकरण वसंत कोटीपाला सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
15. **ऑफ़ीट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.A.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा वसंत निम्नानुसार किण्वुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
0.8	2%	0.44	Following activities at Nearby Gram Panchayat Bhawan, Village- Atukpalli	
			Plantation in	0.44

			Panchayat Shawan	
			Total	0.44

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत राम पंचायत मकान, जटुखपाली में (विपल, बीम, आम, जामुन, कदम आदि) कुआरोपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नम पीछे के लिए रशि 2,500 रुपये, ट्री-बार्ड के लिए रशि 30,000 रुपये, खाद के लिए रशि 500 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव आदि के लिए रशि 3,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 36,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल रशि 8,200 रुपये हेतु परतकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
17. कुआरोपन कार्य - नदी तट पर कुआरोपन (कुल 500 नम पीछे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए रशि 36,000 रुपये, फसिल के लिए रशि 74,500 रुपये, खाद के लिए रशि 5,000 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए रशि 48,000 रुपये, इस प्रकार कुल रशि 1,62,500 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल रशि 2,08,000 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु परतकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के तट में कुआरोपन किये जाने की वजह से बाढ़ की रीफ (flood level) को प्रभाव में रखते हुये नदी के किनारे कुआरोपन (River Bank) किया जाए।
18. नैर माईनिंग क्षेत्र - नदी के तट की चौड़ाई अधिकतम 500 मीटर, न्यूनतम 500 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 55 मीटर है। नदी किनारे मिट्टी के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अवधि नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत अधिकतम खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे 30 वर्गमीटर नैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः उक्त खनन पर कार्य खदान के अवधि 202 हेक्टर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
19. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में कुआरोपन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के सदस्यिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसमृद्ध पर्यवेक्षण संस्थान मण्डल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में कुआरोपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से संघटित किया जाना आवश्यक है।
20. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भरवाई का कार्य जोरदार द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोकर जैसे यंत्र भारी बहन की बगैरे काम नहीं हो सकता। अतः भरवाई का कार्य मैन्युअल विधि से कराई जाये। नदी में भारी बहन, भारीनी, घंटी आदि का प्रयोग प्रतिबंधित रखा जाना आवश्यक है।
21. परिरोपण प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक 10 पुनर्भरण संकटी उत्खनन कार्य एवं कलाकरी आकृतियों का समर्थन नदी किनारे रखा है। इलाक़ी नदी बड़ी नदी है तथा इससे वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त साँसम्भति से निम्नानुसार निर्णय किया गया -

1. आवेदित खदान (घान-खोपडाभौसम्) का रकबा 2.623 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/अनुमोदित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परिशोधन प्रस्तावक से खदान क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि सेत के पुनर्भरण (Replenishment) समतुल्य तरीके आकर, सेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की शुद्धता पर सेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. सीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन खाता -
 - a. सेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में सेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आकड़े तालिका एस.ई.आई.ए.ए., फ्लोसमाप्ट को प्रस्तुत किये जायें।
 - b. पोस्ट-मनसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में सेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व) इसी विभिन्न बिन्दुओं में सर्वेक्षण सीज क्षेत्र तथा सीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन सीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - c. इसी प्रकार सेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विभिन्न बिन्दुओं पर सेत सतह के स्तरों (Levels) का सर्वेक्षण किया जायेगा।
 - d. सेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर सेत सतह के स्तरों (Levels) की समीक्षा का कार्य लगभग 6 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट-मनसून के आकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मनसून के आकड़े अप्रैल 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., फ्लोसमाप्ट को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वेक्षणों से बेसलाइन खोपडाभौसम्-1 क्षेत्र माईनिंग (सतह, घाम पंचायत अंतर्गत), पार्टी ऑफ़ खसरा क्रमांक 01, घाम-खोपडाभौसम्, पहासील-भोपालखण्ड, जिला-बीजापुर, कुल सीज क्षेत्रफल 2.623 हेक्टर में से नदी माईनिंग क्षेत्र 30 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.62 हेक्टर क्षेत्र के कुल 80 अतिरिक्त क्षेत्रफल में ही सेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निर्धारण की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-06 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। सेत की गहराई अनिवार्य रूप से (Manually) की जाएगी। रिफ़ बैड (River Bed) में गहरी गहराई का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। सीज क्षेत्र में विस्तृत सेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से अतिरिक्त माईनिंग तक सेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जायेगा।
5. अस्टेनबल सैण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं एन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटोरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार चलान सुनिश्चित किया जाए।

8.11

0

8. इन्फोर्सेमेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य विस्थापित किया जाय।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रविधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसमूह को तदनुसार सुधित किया जाय।

11. मेसर्स रेगुला-1 सैंड माइनिंग (सत्यंघ, राम पंचायत महकमाती), राम-रेगुला, तहसील-मोवालयटनग, जिला-बीजापुर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2378)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405480/2023, दिनांक 08/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित वेत (नीच खनिज) खदान है। खदान- राम-रेगुला, तहसील-मोवालयटनग, जिला-बीजापुर स्थित प्लॉट ऑफ खसरा क्रमांक 1/1, कुल क्षेत्रफल-158.108 हेक्टेयर में से 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इंदरवती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित वेत उत्खनन क्षमता-82,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, प्रतीसमूह के द्वारा दिनांक 08/08/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सुधित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 23/05/2023

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री कुलधाम मिश्र, सत्यंघ, राम पंचायत महकमाती उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का जायसोहन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में श्री मनीष सिंह के नाम से वेत खदान खसरा क्रमांक 1/1, क्षेत्रफल 4.047 हेक्टेयर, क्षमता - 82,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाचार निदेशक प्रविधिकरण, प्रतीसमूह को द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 25/02/2020 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से तारी के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय सलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के द्वारा क्रमांक 308/कन्वे./खनिज/2023, दिनांक 22/08/2023 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार विगत वर्ष विन्डे नडे उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2020-21	11,300

2021-22	48,245
2022-23	निरंक

1. निर्धारित कार्यानुसार कुलदेयता नहीं किया गया है।
2. ग्राम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - रेल परामर्श के संकेत में ग्राम पंचायत मद्रासली का दिनांक 24/04/2023 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दाकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - जारी प्लान एरिया किंग क्वारी क्वीअर प्लान किंग इनवॉल्वमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प्र.), जिला-उत्तर उत्तर कश्मीर के डायन क्रमांक 644/खनिज/उत्तर.पौ.अनु./रेल/2023-24 उ.उ. कश्मीर, दिनांक 08/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के डायन क्रमांक/201/करी./खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 06/04/2023 के अनुसार अधिदत्त खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत अन्य रेल खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के डायन क्रमांक/188/करी./खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 06/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, मुसद्दाय, मर्याद एवं एनिकेट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. की कुलदेयता निष्ठा, सत्यता, ग्राम पंचायत मद्रासली के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के डायन क्रमांक 187/करी./खनिज/रेल./2023 बीजापुर, दिनांक 31/03/2023 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु किया है। जारी एल.ओ.आई. में "रेल हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के संवीकरण दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षक(करी), बीजापुर वनसंरक्षक, जिला-बीजापुर के डायन क्रमांक/त.अ./1203, दिनांक 28/02/2023 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र के 5 कि.मी. की परिधि में कोई भी अन्धारण/टाईगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. नालवपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सोमनूर 800 मीटर, स्कूल ग्राम-मदासली 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेल खदान के 5 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनिकेट स्थित नहीं है।

17. कृषारोपण कार्य - नदी तट पर कृषारोपण (कुल 1,000 वर्ग मीटर) हेतु प्रस्ताव अनुसूचन पौधों के लिए प्रति 10,000 रुपये, पौंसिंग के लिए प्रति 52,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 10,000 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए प्रति 38,000 रुपये, इस प्रकार कुल प्रति 2,08,000 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल प्रति 1,70,000 रुपये आगामी 4 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के घाट में कृषारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को घटाने में सहायी रूपे नदी के किनारे कृषारोपण (River Bank) किया जाए।
18. सीईआर कार्य एवं नदी तट में कृषारोपण कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ओवरसाइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जल संसाधन पर्यवेक्षण संस्थान काठल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं नदी तट में कृषारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
19. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं बरसाई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी बाढ़न की बेनी के है। अतः बरसाई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावे। नदी में भारी बाढ़न का प्रवेश प्रतिबंधित रखा जाना आवश्यक है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्जनन संकेपी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का संग्रहित नहीं किया गया है। इंडामती नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वार्षिक रूप में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्जनन होने की संभावना है।

समिति द्वारा निम्नलिखित विषयों पर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आवेदित खदान (घाम-रेगुडा) का रुकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में खोज/संग्रहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 बेनी की मांगी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार्द अध्ययन (Detailed Study) करवेगा, ताकि रेत के पुनर्जनन (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जल एवं सूखे जैसी का प्रभाव तथा नदी के पानी की शुद्धता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का रेन्सलईन कार्य -
 1. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व जल संसाधन विभाग के निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के माप (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एसईआर,ए, जल संसाधन को प्रस्तुत किये जायें।
 2. पोस्ट-गार्द (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही बिंदु बिन्दुओं में सर्वेक्षण लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (बेनी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के माप (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जायेगा।

- iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरंत मानदण के पूर्व (आई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े जनवरी 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णता को प्रस्तुत किए जाएंगे।
 4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से मेसर्स रेगुलर-1 रोम्ब माईन (सरलाय, डाम पंचायत सदकाली), प्लॉट ऑफ खस्ता क्रमांक 01, डाम-रेगुलर, राहसील-भोपालपटनम, जिला-बीजापुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु अनिश्चित-60 में वर्णित शर्तों के अधीन दिने जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई अभिकर्ता द्वारा (Manually) की जाएगी। रिफ बेड (Cover Bed) में भाटे बालों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में निष्कृत रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।
 5. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यसूच, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबन्धन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णता में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमति की जाती है।
 6. सस्टेनेबल रोम्ब माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर रोम्ब माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
 7. इन्फोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर रोम्ब माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.) उत्तीर्णता को तयानुसार सुनिश्चित किया जाए।

12. मेसर्स ओके बिस्स एन्ड ट्रांसपोर्ट (प्री- सी महीन्द्र कुमार खत्री), डाम-तुलसाघाट, राहसील-सोनी, जिला-मुनेली (सचिवालय का नशी क्रमांक 2376)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429143/2023, दिनांक 10/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

खस्ता का विवरण - यह पूर्व से संयोजित मिट्टी उत्खनन (मीन खनिज) खदान है। खदान डाम-तुलसाघाट, राहसील-सोनी, जिला-मुनेली स्थित खस्ता क्रमांक

61/1/20, कुल क्षेत्रफल-2.31 है। खदान की आवेदित सिट्टी उखनन क्षमता-1,500 टनमीटर (15,00,000 टिन्स) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक की एलईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 22/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रीराम कुमार शर्मा, डेप्युटी चार्ज्ड अफ़ेयर्स द्वारा समिति द्वारा समीक्षा, समस्त जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

I. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- I. पूर्व में सिट्टी उखनन (पीएन एमएल) खदान क्षमता क्रमांक 61/1/20, कुल क्षेत्रफल-2.31 हेक्टेयर, क्षमता-1,500 टनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्रविधान, जिला-मुंगेली द्वारा दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अवधि दिनांक 21/01/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"GA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/01/2024 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार पंजीकरण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 147/खनि-2 प.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार निम्न वर्षों में किये गये उखनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टनमीटर)
08/04/2018 से 31/03/2019 तक	628
2019-2020	1,398
2020-2021	1,439.2
2021-2022	1,583
2022-2023	788

समिति का मत है कि दिनांक 31/03/2023 के उपरोक्त किंग् डू एर एल्लानन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. घास पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — एल्लानन के संबंध में घास पंचायत कुपवाड का दिनांक 04/03/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. एल्लानन योजना — खाली प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनि प्रशासन) कार्यालय कलेक्टर, जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाटा के ज्ञापन क्रमांक 1108/ख.लि./सीन-1/2017 बलीदाबाजार, दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 365/ख.लि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 348/ख.लि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, कालवा, पुल, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी अन्ततः 80 मीटर दूर है।
6. लीज का विवरण — लीज श्री गरीब कुमार शर्मा के नाम पर है। लीज सीड 30 वर्षे अवधि दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. भू-स्वामित्व — भूमि की अधिकार खाली के नाम पर है। एल्लानन हेतु भूमि स्वामी का सहायता पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबदी घास-लोहनी 1 कि.मी., स्कूल घास-लोहनी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल लोहनी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 59 कि.मी. एवं राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है। पश्चिमी नदी 135 मीटर दूर है।
11. परिसिध्तिहीन/जैवसिध्दिघात संरक्षणीय क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित सिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, परिसिध्तिहीन

111

11

संबंधित क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

12. खनन संयंत्र एवं खनन का विखनन – जिपसोलीजिकल रिजर्व 48,200 घनमीटर, साईनेबल रिजर्व 41,318 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 701 वर्गमीटर है। खनन वास्तु विनियमन विधि से खनन किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,500 वर्गमीटर क्षेत्र में ईट निर्माण हेतु पट्टा स्थापित है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत क्लॉय ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की स्थापित आयु 27.5 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विकल्प किया जाता है। अनुबंधित कमी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,500	चतुर्थ	1,500
द्वितीय	1,500	पंचम	1,500
तृतीय	1,500	छठम	1,500
सप्तम	1,500	सातम	1,500
अष्टम	1,500	दशम	1,500

13. जल आपूर्ति – परिवर्तन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 350 नम वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 48,800 रुपये, सीमिंग के लिए राशि 70,200 रुपये, खाद के लिए राशि 2,640 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,18,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,38,440 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,76,720 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. नैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र के भीतर 180 वर्गमीटर क्षेत्र को वृक्ष होने के कारण एवं 80 वर्गमीटर क्षेत्र को इलेक्ट्रिक वोल्ट होने के कारण नैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका बल्लेख अनुबंधित कमी प्लान में किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत ग्राम-तुलनात्मक, लक्ष्य-सीमा के राष्ट्रीय भूमि में वृक्षारोपण या मिडियम गार्डन (स्कूल के किनारे, पुलिसवाग के किनारे, तालाब के किनारे) के लिए सामाजिक भूमि का क्षेत्र और चरवाह जगहोंक उपलब्ध बनाने बाबत ग्राम पंचायत तुलनात्मक की अपेक्षा किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहयोग उपरोक्त भूमि के चरवाह जगहोंक एवं पक्का का उत्सर्ज कमी हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा खदान की खारी लम्ब 7.5 मीटर बाजन्ही खोली गयी है, उस पर धैरिग करवाकर कुलरोपण का कार्य कराने तथा लीज क्षेत्र की सीमा में खारी और 7.5 मीटर की पट्टी एवं सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्य की जानकारी रिपोर्टिंग (Geotag) सॉफ्टवेयरस सहित अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करती हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा खनिजि द्वारा निर्मित किये गये खली का प्रालन करने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा खनिज में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना प्रालक्षण नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 10 नग कुलों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त कुलों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई स्वाम प्रधिकारी से अनुमति उपान्त ही करने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले कुलीरोपण का 5 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा इस आवेद का समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में घास/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई विमान/विमान स्थानित है अथवा नहीं की जानकारी दी जायेगी।
23. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा इस आवेद का समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं कलाई रेत के खनिज रख-रखाव के लिये डीन होड का उपयोग किया जायगा।
24. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमावर्त करवाकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार सांग स्थानित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. ईट को चकाने के लिए ईट मट्ट में सेवल डिग-डीग तकनीक या सेंट्रिल सॉल्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परिषदीयता से डिग-डिग खाली से सफुडिडिग डस्ट उत्सर्जन होगा, उस खाली पर नियमित जल सिंक्रकल की व्यवस्था किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. सडुडिग लीज क्षेत्र के अंदर समय कुलरोपण किये जाने एवं संपित पीछे का सारवाइवल रेट (Survival rate) का प्रतिगत सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परिषदीयता प्रस्तावक द्वारा मिनरलस कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाजन्ही मिललई द्वारा सीमावर्त का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, जलधारा, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसम्पुर्ण निर्माण मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विधान विभाग उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुक्रम विहित शर्तानुसार कुशलतापूर्वक इसी मानक में करते हुए नीचे में संख्यांकन (Numbering) एवं पेशी के नाम का उत्सर्ज किया जाकर फोटोसहस्य सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 31/03/2023 के उपरोक्त किए गए उत्सर्जन की वार्षिक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित बनाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की सामाजिक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनुरोध प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. कलेक्टर खनिज शस्त्र से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईट मट्टा संबंधित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकूल, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्दिष्ट किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दायित्वपूर्ण कार्यवाही स्वीकार करेंगे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें अधिक में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उत्सर्जन का पेशी पार्ये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा अधिक में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
7. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड सोल किये या सोल माईन से खरीदे जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. ईट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खदानांक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पैटरोलिक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. उत्सर्जन के निगरानी के लिए संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/समरेखा अनुसार ईट मट्टे में स्वार्थ सुविधा (सीट होला एवं

प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने काबद्द सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. ईट पट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिवार में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने काबद्द सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. कच्चे बाल/ईट परिवहन के दौरान राखों को डंक कर रखे जाने काबद्द सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बखित जानकारी/वस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

परिचोपना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेडन संभारवानी विस्त (प्रो- श्री विनय संभारवानी), ग्राम-जमुनाही, तहसील-लोखी, जिला-मुनेली (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2380)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीपी/ एमआईएन/ 425148/2023, दिनांक 10/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघारित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जमुनाही, तहसील-लोखी, जिला-मुनेली स्थित खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/8, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता-1,000 घनमीटर (ईट निर्माण इकाई 10,00,000 नम) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परिचोपना प्रस्तावक को एसआईएसी, जलसंधारण से प्राप्त दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 23/05/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय संभारवानी, प्रोजेक्ट्स उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान, खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/8, कुल क्षेत्रफल-1.3 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समन्वय निदेशन प्रतिकरण, जिला-मुनेली द्वारा दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 21/01/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परिचोपना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"BA, Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of

Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की दिशा जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

- a. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- b. निर्धारित शर्तानुसार कूड़ादेपन नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार कूड़ादेपन इसी मानदण्ड में कर्त्तौ हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- c. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के डायन क्रमांक/348/खनि-2 रा.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	वर्षवार	कुल उत्खनन (घ.मी.)
1	06/04/2018 से 31/03/2019 तक	560
2	01/04/2019 से 31/03/2020 तक	920
3	01/04/2020 से 31/03/2021 तक	960
4	01/04/2021 से 31/03/2022 तक	672
5	01/04/2022 से 31/03/2023 तक	768

दिनांक 31/03/2023 के पश्चात् किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की अपडेट जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित कर्त्तव्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. दान पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में दान पंचायत सप्लीमांवर का दिनांक 22/07/2016 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान अर्थात् विंग क्वारी कलेक्टर प्लान एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनिज प्रशासन) रास्ते कलेक्टर, जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट के डायन क्रमांक 1107/खनि/तीन-1/2017 बलीदाबाजार, दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के डायन क्रमांक 361/खनि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार अर्जित खदान से 500 मीटर की मीटर अर्थात् अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के डायन क्रमांक 350/खनि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, कुएँ,

बेल साईन, अस्पताल, एनीकट एवं बॉय आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं। नदी खदान से 80 मीटर एवं स्कूल 120 मीटर दूर है।

6. लीज का विवरण- लीज माली केंद्रावली दिनांक 01-01-2018 से लीज माली के नाम पर है। लीज क्षेत्र 30 वर्षों अवधि दिनांक 08/04/2018 से 08/04/2048 तक की अवधि हेतु है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसत क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5 एवं 83/8 की विषय कुमान के नाम पर तथा खसत क्रमांक 47/4 श्रीमती जगदी कौर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमंडलधिकारी, मुंगेली वनमंडल, जिला-मुंगेली के द्वारा क्रमांक/राजस्व/813 मुंगेली, दिनांक 07/03/2014 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय इलाका-लोरणी 7 कि.मी., स्कूल इलाका-लोरणी 7 कि.मी. एवं अस्पताल लोरणी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 83 कि.मी. एवं राजमार्ग 7 कि.मी. दूर है। नगिचानी नदी 100 मीटर दूर है।
11. पर्यावरण/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरण/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खान खनद एवं खान का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 28,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 23,374 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 843 वर्गमीटर है। खान काट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर विनयी स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत प्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 23.37 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 40 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित जारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000	चतुर्थ	1,000
द्वितीय	1,000	पंचम	1,000
तृतीय	1,000	अष्टम	1,000
चतुर्थ	1,000	नवम	1,000
पंचम	1,000	दशम	1,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घाम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस संबंध में घाम पंचायत का अनामतित बिलान धन प्रस्तुत किया गया है।
14. **कृषादीपन कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में बायी ओर 1 मीटर की घट्टी में कुल 302 मग कृषादीपन किया जाना जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 49,472 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,430 रुपये, सिंचाई एवं रक-रखाव आदि के लिए राशि 2,18,000 रुपये, इन प्रकार कुल राशि 4,17,902 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रक-रखाव हेतु कुल राशि 8,74,688 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु चतुर्वार धन का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – माईनिंग प्लान अनुसार 120 वर्गमीटर क्षेत्र को ऑफिस एवं 50 वर्गमीटर क्षेत्र को जेबर हाउस होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। जिसका चर्लेख अनुमोदित क्लॉस प्लान में किया गया है।
16. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में चर्लेखित अखंड एवं देशांत के अखंड पर घुमल के माध्यम से को.एम.एल. काईल में देखे जाने पर विमनी भट्टा का अर्धा भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं अर्धा भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना चाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, चर्लेख प्लान आदि में विमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का चर्लेख है। समिति का मत है कि विमनी भट्टा (विमल विमनी) को डिमेंटल कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी (खदान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए विमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- साथ ही खदान से भनियारी नदी 80 मीटर दूर है। समिति का मत है कि नदी से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में नदी की तरफ 20 मीटर लंबाई के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाना आवश्यक है। अतः भनियारी नदी की तरफ को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा अखंड निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Village- Jamanahi	
			Paytra Van Niman	7.50
			Total	7.50

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिचर का निर्माण" के लक्ष्य (बीम, पीपल, आम, कनकर, कादम, जामुन, अंबाला, अमलताश, बरगद आदि) कृषादीपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव

अनुसार 405 नम पीछी के लिए राशि 80,780 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 45,300 रुपये, खास के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 3,15,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 3,45,110 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,45,664 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु घास जम्माही की सांख्यिक भूमि खसरा क्रमांक 80 के 40 डिगमिल तकका भूमि में वृक्षारोपण करने हेतु घास पेशावत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्य की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ सहित आंशिक रिपोर्ट में सम्मिलित करने हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पवित्र वन पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षति से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवंटित क्षेत्र में स्थित 18 नम कुर्बी की प्रकृतियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त कुर्बी की आवश्यकता घड़ने पर कटाई सहम प्रकृतियों से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवंटित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में घास/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई विमान/किल्ला स्थापित है अथवा नहीं की जानकारी दी जायेगी।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं कटाई एत के अधिन रख-रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।
25. ईट को पकाने के लिए ईट भट्टों में कोयल जिन-जिन तकनीक या बटिकल सीन्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से क्युजिटिव ड्रट उत्पादन होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल सिद्धांत की अवस्था किये जाने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. बाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सख्य वृक्षारोपण किये जाने एवं सेपिल पीछी का सावाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बरगड़ी विस्तर द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निष्पत्ती के लक्ष्य सीमांकन बनाकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्थान स्थानित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल स्रोतों में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण एवं संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. पर्यावरण आदर्श पुनर्वास नीति के लक्ष्य स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. स्थानीय लोगों को एवं निवृत्त स्व. आवादी लोगों को निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के अभाव पर निर्भरित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारोहण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकल्प लभित नहीं है।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लभित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमांकन के शर्तों के अनुसंधान निर्धारित शर्तानुसार कुशाघरण इसी मानसून में करते हुए सीमांकन (Numbering) एवं क्षेत्रों के नाम का उल्लेख किया जाकर खोदोपार्जन सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 31/03/2023 के पश्चात् किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अधोलन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कृतकर प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांत एवं देशांत के अभाव पर गुगल के माध्यम से को.एम.एस. साईट में देखे जाने पर विमनी खदान का अक्षांत भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं अक्षांत भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थानित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सर्वेक्षण प्लान आदि में विमनी का पूर्व भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। अतः विमनी खदान (विमनी विमनी) को डिस्कॉन्ट कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा खदान (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए विमनी स्थानित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संबंधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खदान से विमनी नदी 80 मीटर दूर है। नदी से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में नदी की तरफ 20 मीटर संभारों के क्षेत्र को रीर माईनिंग क्षेत्र रखा जाए। अतः विमनी नदी की तरफ को रीर माईनिंग क्षेत्र रक्षते हुए रिजर्व की गणना कर संबंधित अनुसंधानित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. एक साथ ईट निर्माण हेतु विमने कोयले की आवश्यकता होनी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं मजदारी हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनसे द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रविष्टि, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्दिष्ट किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेगा।
 6. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के पालन का दोषी पाये जाने का जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनसे द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
 7. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपों या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 8. ईट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अवशेष आदि) का उपयोग किये जाने तथा वास्तविक अवशेष जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटरोल आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 9. पर्यावरण के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/सूचकां अनुसूच ईट मट्टे में लाई सुविधा (नोट होल्ड एवं फ्लैटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 10. ईट मट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईट निर्माण में किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 11. कच्चे माल/ईट परिवहन की दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
- उपरोक्त बर्तित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परिवोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

वैतक बन्धवाद प्राप्त के साथ संपन्न हुई।

(श्री डी. साहू वैकट)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(श्री डी.पी. मोन्सरे)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स बंगोरी हाईम स्टीम पावर हाईम (प्री.- वी. अश्विना मगत)

को सक्षम क्रमांक 28/24, कुल लीज क्षेत्र 1,324 हेक्टर, जल-बंगोरी, तहसील-सुम्ना,
जिला-सुरगुजा में चूना पत्थर (पीन खनिज) उत्खनन - 18,436 टन (8,174 घनमीटर)
प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाने तथा कन्वर्ड से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1,324 हेक्टर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संचयन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 18,436 टन (8,174 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्की मुन्दी लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अंतर्गत खदान से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नवालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेंगे।
3. परियोजना प्रशासक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज क्षेत्र का नाम, खदान का क्षेत्रफल आरंभ एवं देशीय सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत सीनिय इन्फार्मेशनल गैजेट प्लान के अनुसार क्लस्टरिंग एवं परिवहन सहकों एवं खदान से परिवहन सहक तक पहुँच मार्गों के संरक्षण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, वस्तु स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा मार्गनिर्माण प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराया जाने हेतु परियोजना प्रशासक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रशासक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. खनन लीज क्षेत्र में कुछ जीवित वृक्ष हैं, जिन्हें बहुत आवश्यक होने पर ही उखल वृक्षों की कटाई सहाय प्रयोगकर्ता से अनुमति प्राप्त की जानी है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा क्लस्टरिंग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सैप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित

नहीं किया जाए। दूषित जल एवं कर्बाबजु का जल आगम में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी ऊपर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पट्टा वाला खान संयंत्रों में खनन के उपरोक्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खननी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to these mining activities) हुए हैं, खननी से-ग्रोसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह खान, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारों से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
11. नू-जल के उपयोग हेतु क्षेत्रीय नू-जल बोर्ड से सखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किन्हे जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से सखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी विनो / वेद / प्वाइंट सोर्स के पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, खनि, ट्रांसकर आइड्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ एक बल्ब का सेट फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज सखनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों में सखनन प्रदूषित डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। पट्टेय मार्ग, रैन्ड, संग्रहण क्षेत्र, भलाई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन किन्तुओं डस्ट कंटेनमेंट कम संग्रहण सिस्टम एवं जल सिंक्रकास की व्यवस्था की जाना इच्छा करता संयंत्र / संयंत्र सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से सखनन वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। सखनन क्षेत्र में परिवर्तित वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किन्हे जाने के उपरोक्त ही सखनन कार्य आरंभ किया जाए।
15. खनि क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेद का डंप / मण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कुत्तारोचना किया जाए। ऐसा करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से विरत की जा सकेगी।
16. खननी मिट्टी को खनि क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर संयंत्रित कर संयंत्रित रखा जाए। मिट्टी का दुस्प्रयोग, विनाश एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःस्थापना के लिए किया जाए।
17. खननी मिट्टी को खनि क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर संयंत्रित कर संयंत्रित रखा जाए। मिट्टी का दुस्प्रयोग, विनाश एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःस्थापना के लिए किया जाए।

18. ओवरलैंड एवं अनुपयोगी/बिछी अवोप्य खनिज (बिस्ट रीज) को पुनः से पूर्व से विन्हीत खनन पर बन्धनित किया जाएगा। इस प्रकार के बन्धनित खनन को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि बन्धनित खनन-खनन की भूमि पर विपत्ति प्रभाव न हो सके। खनन की लंबाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंड खनन का खनन रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से पुनःस्थापन किया जाए।
19. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंड एवं अन्य अनुपयोगी/बिछी अवोप्य खनिज (बिस्ट रीज) को खनन के परभाव बने गड़कों में पुनःस्थापन (बैंक सिटिंग) हेतु उपयोजन किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोजन सुनिश्चित किया जा सके।
20. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीज क्षेत्र के खनन-खनन के खनन क्षेत्र स्लोपों में प्रभावित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन पीट तथा अन्य क्षेत्र में सिटिंग वॉल / नारोप्य ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
21. खनिज का परिवहन कचरे वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन में बहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को खनन से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.51	2%	0.25	Following activities at nearby, Govt. Primary School Mahawaspara Village-karna	
			Installation of water Filter and its AMC & 1 soak pit	
			UV water filter (3L)	0.15
			AMC (for 5 years)	0.10
			Soak Pit	0.05
Total			0.30	

23. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कर्मचारी 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपायों पर प्रस्तावित कर्मियों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्रचारों से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अनिवार्य रिपोर्ट में सहायित करती हुई प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। पुनःस्थापन आवश्यक होने पर पर्यावरण लौटने निम्न की जायेगी।
24. सी.ई.आर. अंगन इन्फ्रान्फोर्मेटल मैनेजमेंट प्लान, अंगन इन्फ्रान्फोर्मेटल मैनेजमेंट प्लान में परिवोजना प्रस्तावक की सहभागिता, गड़कों के रक-रखाव एवं पुनःस्थापन कार्य के कोऑर्डिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-प्राथमिक समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम





संरचना को पर्याप्त/प्रतिनिधि एवं डिजाइन प्रशासन या प्रशासनिक पर्याप्त संरचना संरचना को पर्याप्त/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.ओ., सी.एफ.ओ. इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, सी.एफ.ओ. इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचालन प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों को रख-रखाव एवं कुशासन का कार्य पूर्ण करने जाने को उपायों गठित कि-पथीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/खान/भद्रा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.ओ. के सहित अपने द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (जारी ताल 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, सेक्टर/सेक्टर जग आदि में स्थानीय प्रजाति के 813 नमूने जहाँ का स्थान कुशासन प्रथम वर्ष में किया जाए। इनमें पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्रशासिका के अन्तर्गत खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नमूने प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कर्ज, पीपु, आम, इमली, कर्पूर, नीम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण (कुल 1,073 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कस्टोडियन तार के बाड़ व्यवस्था ही गाई का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित हाल संरचना द्वारा चिह्नित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशासन किया जाए। उपरोक्त कुशासन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त कुशासन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊँचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। कुशासन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित करने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुए टैगिंग (Geotag) फोटोग्राफ सहित जानकारी वाला प्रिंटेड कार्ड का उपयोग में प्रयुक्त करें।
29. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थान कुशासन करने वाले एवं रोपित पौधों का सवाइवल रेट (Survival rate) 60 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशासन का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। अपने द्वारा रोपित पौधों के कुशासन को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. करने गये कुशासन की पुष्टी हेतु सी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थवर्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए उत्तरीय पर्यावरण संरक्षण बोर्ड एवं सी.ई.ओ. प्रशासन को प्रेषित किया जाए।
31. परिचालन प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.ओ. के सहित प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, सी.एफ.ओ. इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचालन प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने का पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परिचालन प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारी को इयरप्लग/मस्क आदि उपकरण किन्हीं जांच एवं समय-समय पर विहितकारी प्रावधान एवं आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उपकरण भी करना चाहिए।

33. कंट्रोल ब्यारिअरिंग का कार्य डी.जी.एन.एल. द्वारा अधिभूत डिस्पोजिबल लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए चत्वार के छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लॉई ब्लॉक) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेद डिजिटिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अपरिचित डिजिटिंग किया जाए, जिससे बन्द का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर को ऊपर असंतुप्त प्रथम में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि ध्वंसकृतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक ध्वंसकृतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आवश्यक दायित्व होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। आईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि खनिज शक्ति कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शक्ति को अस्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अस्वास्थ्य व्यवस्था अस्वास्थ्य संरक्षणों के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. शक्तियों के लिए स्थान स्थल पर स्वच्छ पेयजल विविधस्तरीय सुविधा, मीठकाल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. शक्तियों का समय-समय पर आन्वेषितमाल हेल्थ सर्विलेंस करना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसूच्य वार्षिक योजना, विनाम उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपरिचित समितित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / जर्वायल, एवं और जलजन्तु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिभूत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समस्तता में परिवर्तन अथवा विनिश्चित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संतोष/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय संचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियों सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parishah.nic.in पर भी किया जा सकता है।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाहों की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अधिकारपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं

Handwritten signature

Handwritten mark

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

48. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए रिपोर्टों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
49. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
50. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमांतार संयंत्र) नियम, 2016 तथा लोक दफ्तिय बीमा अधिनियम, 1991 (तथा संबंधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
51. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत कियेल गे कोई भी विफल अवकाश परिवर्तन होने की दशा में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः स्वीकृति जानकारि सहित सूचित किया जाए, ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अवकाश गरीम शर्तों विनिर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अवकाश उन्नयन एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
52. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आधार एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कन्सेक्टर/राजकीयकार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
53. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील केतनल चीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, केतनल चीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सादर्य सधिये, एम.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एम.ई.ए.सी.

मेसर्स कर्ना लाईन स्टोन कार्बन (प्री.- वी. प्रिटेन्ड कुमार लिमिटेड)
को पार्ट ऑफ खसत क्रमांक 832 एवं 834, ब्लॉक लीज क्षेत्र 1 हेस्टेयर, घाग-कर्दा,
तहसील-कुम्हा, जिला-सरगुजा में चूना पत्थर (लीज खनिज) उत्खनन - 11,875 टन
(4,750 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेस्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 11,875 टन (4,750 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर परकीं गुनने लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की कसत भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (नया संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांत एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत करीबन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार कृतावीर्य एवं परिवहन सड़कें एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संवर्धन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु लीज ए.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (जल, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्राल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्राल, अम्बिकपुर एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. मासिक एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार परदेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक विमुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की जचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अनिवार्य रूप से प्रक्रिया में अपना कृतावीर्य हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल को गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन, मंडलवायु नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा राष्ट्रीयवायु पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. छानि पट्टा खनक खान संसाधन बंद करने के उपरान्त (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उपर्युक्त खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उपर्युक्त री-ग्रोसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह वाता, वनस्पतियों, जीवों आदि के उपरान्त हेतु समतुल्य हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्कोप से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी विपत्ती / ब्रेक / फाईट सीमा से पार्टिकुलेट मैटर वातावरण की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, स्लीन, ट्रांसफर फाईबर (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्ट्रा एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च क्षमता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। छानिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्वैलिटिव अल्ट्रा एक्स्ट्रैक्शन का नियंत्रण प्रभावी एवं निरन्तर रूप से किया जाए। न्यूज कार्ब, ईयर, संरक्षण क्षेत्र, बरतई एवं अन्य अल्ट्रा एक्स्ट्रैक्शन किन्तुओं द्वारा कॉन्टेनमेंट कम माइनेंग सिस्टम एवं जल फिल्टरिंग की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए। किण्व ड्रेजिंग बॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अंतर्गत रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता मासिक रूप से पर्यावरण, इन और जल वायु परिवर्तन मंडलवायु नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान की चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरान्त ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लैंड क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृषांतरण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय उत्खनन प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
15. उत्खनन क्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप लैंडिंग) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बहरी ओपनबैंक को स्थिर (स्टेबिलाइज्ड) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लैंड क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुसंयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्स्थापन के लिए किया जाए।
17. ओपनबैंक एवं अनुपयोगी/बिना उपयोग छानिज (डिस्ट रॉक) को फुसक से पूर्व में विन्हीत स्थान पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों की उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर

विपरित प्रभाव न डाल सके। अन्य की ऊँचाई 3 मीटर तथा बल्लेप 28 डिग्री से अधिक न हो। औद्योगिक अन्य का खनन रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कुशासन किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो औद्योगिक एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अव्यवस्थित खनिज (मिट्टी रोका) को खनन के प्रभाव से बचाने में कुशासन (डिक रिजिनिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वसिहत वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्टी लीज क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन सड़क वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को सड़क से अधिक नहीं बना जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.56	2%	0.28	Following activities at nearby Govt. Primary School Village-karna	
			Installation of UV water (15L) Filter and its AMC (for 5 years)	0.25
			Pipeline, Sanitaryware & Installation in School Toilet	0.10
			Total	0.30

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यकारी 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण करवाते संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त कर अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आसक्त उत्तरदायित्व होगा। कुशासन असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
23. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशासन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, प्राप्त संस्था के प्राधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रतीनगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मण्डल के सदासिवारी/प्रतिनिधि) नठित किया जाए। साथ ही सी.ई.ओ.एन. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों को रख-रखाव एवं कृषारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत नठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, उस वाले खदान/उद्योग/घाटी के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.ओ.एन. के तहत आपके द्वारा कराये गये कर्तव्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
25. उत्खनन हेतु निश्चित क्षेत्र (घाटी तथा 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, डोमलवर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 504 नम नुमाँ का साधन कृषारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित घाटी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, गीम, कर्ज, चीसू आम, इमली, अर्जुन, चीनस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण (कुल 204 पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुरक्षित रखने के लिये समतुल्य एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिस कार्टेजल तार के बाड़ लगाए ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की घटा में संबंधित इलाक़ा में बांधित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कृषारोपण किया जाए। उपरोक्त कृषारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त कृषारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 8 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। कृषारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तात्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुए टैगिंग (Geotag) फोटोग्राफ सहित जानकारी वाला प्रसिधेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कृषारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सनबाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कृषारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के कृषारोपण को सफल बनाया आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. किये गये कृषारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ आर्वाइविक रिपोर्ट में समाहित करते हुए उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.ओ.एन. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहभागिता से कार्य करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 76 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विभिन्नसमय जीव एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों केपालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वानु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधान, परिसंरक्षण और अन्य उपसिद्ध (प्रकाश एवं सीमाकार संरक्षण) विधान, 2016 तथा लोक वायुमय विना अधिनियम, 1986 (एवा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किये गये कोई भी विचारन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने का मत निर्णय ले सके। छद्मान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

राज्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

राज्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

वेदाई बंगोरी लाईन स्टोन लाईन (सी- बी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता)
को सततता क्रमांक 25/28 एवं 25/83, कुल लीज क्षेत्र 1.234 हेक्टेयर, ग्राम-बंगोरी,
तहसील-सुम्ना, जिला-सरगुजा में घुना चक्कर (सीन खनिज) उत्खनन - 5,076 टन
(2,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में ही जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों से अधीन की जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कन्ट्राई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.234 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज सततता विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से घुना चक्कर का अधिकतम उत्खनन 5,076 टन (2,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कनाकर परके मुाने लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलसामु परिधान, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुक्त ज़ेरा द्वारा पर सूचना पटल (लीज क्षेत्र का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लरटर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फार्मेशनल फेन्डमेंट प्लान के अनुसार क्लरटेशन एवं परिष्करण संरक्षकों एवं खदान से परिष्करण संरक्षक तक पहुंच मार्गों के संरक्षण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लरटर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, जहां स्थलों पर प्रतिगठ मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एच.आई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलसामु परिधान मंत्रालय, नया राधपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पर्यटन द्वारा लाईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कतये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (नदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में ~~डिप्टी~~ ड्रिप्टी की परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा क्लरटेशन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोल्यूट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं क्लरिफाई का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन, मंडलन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा प्रायोगिक पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी उच्चतर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उगली खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस विधि से तक किया जाएगा, जिससे यह धरा, जनसभियों, जीवों आदि के प्रभावित हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्रधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु राष्ट्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी विमनी / बेंट / पार्श्व सील से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, सॉल्वेन्ट, ट्रांसफर पाइप्लिन (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न एयूजिटिव उच्च उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। पट्टीय माई, रैन्ड, संचालन क्षेत्र, पट्टी एवं अन्य उच्च उत्सर्जन किन्तुओं उच्च कंटेनमेंट कम संचालन सिस्टम एवं जल विकल्पों की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विच्छेद ड्रेजिंग सील का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986) के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की शुद्धता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ प्रीसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. सीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गड्ढे 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / मण्डलन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय रद्दकृत प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरसईन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. उपरी मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर संचालित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विखन एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःस्थापन के लिए किया जाए।
17. ओवरसईन एवं अनुपयोगी / बिछी अधोन्व खनिज (वेस्ट रोक) को पृथक से पूर्व से किन्हीं स्थल पर संचालित किया जाएगा। इस प्रकार के संचालन स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि संचालित पदार्थ जल-धारा की भूमि पर

विधित्त प्रभाव न डाल सके। कम की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। औद्योगिक कम का शरण लेकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से नुसारोपन किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो औद्योगिक एवं अन्य अनुपयोगी/बिची अव्यव्य खनिज (लेस्ट टैक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा अतिरिक्त वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन क्रिया से उत्पन्न सिल्ट लोड क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे लेकने हेतु साईन पीट तथा कम क्षेत्र में रिटैनिंग बॉल / सास्लेन्ड ट्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं मरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.22	2%	0.344	Following activities at nearby, Govt. Primary School Mahuwapira Village-karna	
			Installation of separate water tank for drinking	0.29
			Donation of books related to Environment Conservation	0.10
			Total	0.39

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आधिकारिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सम्पत्ता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक होगा। नुसारोपन असम्भव होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
23. सी.ई.आर. कर्मियन इन्डियापेट्रोल केनेजमेंट खान्, कर्मियन इन्डियापेट्रोल केनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमति, सड़कों के रख-रखाव एवं नुसारोपन कार्य के मॉनिटरिंग एवं वर्केशन हेतु त्रि-पक्षीय समिति (मैन्स्ट्राईट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रदीसमइ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर.

कीमत इन्व्हायमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कीमत इन्व्हायमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता, लक्ष्यों के रख-रखाव एवं कूड़ासेपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त वित्त वि-खीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण घात/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपकी द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
25. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (जहाँ तक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, जोलाखोल गम्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 642 नमूने कृषी का सभन कूड़ासेपन प्रकल वर्ष में किया जाए। इति पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्रथमिकता के आधार पर खदान प्रखण द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नमूने प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, चीरु, आम, इनली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 220 पीपों का रोपण (कुल 882 पीपे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुदृष्टित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या करंटेयर तार के बड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कूड़ासेपन किया जाए। उपरोक्त कूड़ासेपन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त कूड़ासेपन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीपों का ही रोपण किया जाए। कूड़ासेपन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पीपों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपे के नाम का उल्लेख करते हुए टैगिंग (Tagging) फोटोग्राफ सहित जानकारी पत्रक प्रतियेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सभन कूड़ासेपन किये जाने एवं रोपित पीपों का सलाइविल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कूड़ासेपन का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीपों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपकी द्वारा रोपित पीपों के कूड़ासेपन को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. किये गये कूड़ासेपन की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थवर्क रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए उत्तीर्णन पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं सी.ई.आर.ए.ए., फलीभागड को प्रेषित किया जाए।
30. परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कर्ब, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई से दिये गये आश्वासन के अनुसार कर्ब करना, कीमत इन्व्हायमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार सनका उपचार भी कराया जाए।
32. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक आईसीस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए फथर के छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लस)

रीखा) को उड़ाने से उड़ाने हेतु पर्याप्त एवं स्वस्थ व्यवस्था किया जाए। डेट ड्रिलिंग
अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अद्यतित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे स्मॉग का
संसाधन नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर के उपर असंतुल्य प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन
प्रक्रिया सू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंघीय एवं
जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जनसंघीय
एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीचे खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ नीचे खनिज नियम,
2018 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के
अनुसार किया जाए। नाईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि कोयिलेन भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों को
आवास एवं भुक्त हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।
आवसीय व्यवस्था आवासीय संस्थानों के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना
पूर्व होने के पश्चात् हटाया जा सके।
37. भूमिकों को रिश्द खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसंवीय सुविधा, मंचाइल
टायलर आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. भूमिकों का रागम-रोग पर आवश्यकतानुसार हेल्थ सर्विलेस कराना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक
योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित स्थिति है, में किसी भी
प्रकार का परिवर्तन एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अंतिम तिथि व्यक्तिगत अथवा अन्य
सम्बन्धित पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी
निजी सन्धि को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा
कोन्ट्रोल राज्य एवं स्थानीय जन्तुओं / विधियों के पालन हेतु अधिकृत करता है।
41. एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संप्रति
में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की वसा में
किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन /
निष्कास के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र
के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7
दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय
स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका
अवलोकन एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parbhbhbh.nic.in पर भी किया
जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्थ
वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, अम्बिकापुर, एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के चलन की विनियमन की जाएगी। इस हेतु परिषदीय प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली विनियमन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिषदीय प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परिषदीय प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से चलन करना। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बंधन वाले नियमों, परिश्लेषण और अन्य उपविष्ट (संघ एवं सीमापार संघालन) नियम, 2018 तथा लोक दण्डित बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संबंधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
47. प्रस्तावित परिषदीय के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचार अथवा परिवर्तन होने की दशा में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा चरणबद्ध एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं जल संयंत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करना।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

रायपुर स्थिति, एम.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एम.ई.ए.सी.

वेस्टर्न वर्ल्ड लाईम स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (पी-बीसी) काठि गुवाडी
को चार्ट और खदान कर्मांक 079/1, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, घान-कर्त,
पड़शील-कुम्हू, जिला-मरगुजा में चूना पत्थर (सीम खनिज) उत्खनन - 10,217 टन
(4,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा चलीसगढ़ सभान्, खनिज सभान् विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 10,217 टन (4,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पत्रके मुबारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की कौटा भासा सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज घाटक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आदि) एवं देशांतर चिह्न, उत्खनन की भासा, स्वीकृति अर्थात्) लगाया जाए।
4. कलक्टर हेतु प्रस्तुत कीमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार कुशासन एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संभालन का कार्य 6 महीने में पूर्ण किया जाए।
5. कलक्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर नॉन्डिरिंग कार्य किया गया है, वहां स्थलों पर प्रतिमाह नॉन्डिरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। नॉन्डिरिंग रिपोर्ट चलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय चलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एम.ई.आई.ए.ए., चलीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्थात् (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. वार्षिक एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कताये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को वार्षिक विहीनक निमुता करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की तयित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अर्थात् इसे प्रक्रिया में अथवा कुशलतापूर्वक हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की कुशलता भासा सरकार, पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन, मंडलाय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खाने पढ़ने का खान संचालन बंद करने के उपरान्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किरी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उपरी चो-ग्रामिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह वाता, वनस्पतियों, जीवों आदि के उपरान्त हेतु अनुकूल हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन प्रक्रियाओं से अनुपेक्षित माईन कठोरता पर एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु क्षेत्रीय भू-जल बोर्ड से परखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से परखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किरी किरी / वेट / पाईट सोर्स से पॉर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, क्लीन, ट्रांसपर प्वाइड्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्ट्रा एल्ट्रावायल सिस्टम के साथ उच्च दबाव का वेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज परखनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न प्वाइडिज अल्ट्रा वायुओं का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, वेम्, संवहन क्षेत्र, बनाई एवं अन्य अल्ट्रा वायुओं अल्ट्रा अल्ट्रावायल अल्ट्रा सिस्टम एवं जल फिक्शन की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विप्ल इन्जिन वोल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। परखनन क्षेत्र में पर्यावरणीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंडलाय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरान्त ही परखनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कुलरोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं जाने पर पर्यावरणीय सतृकृति किरी भी समय तत्काल द्वारा से निरास की जा सकेगी।
15. परखनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टीप सॉइल) का उपयोग परखनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि के पुनः स्थापन हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंड को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
16. उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर संचालित कर सुरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुुरुपयोग, विकल्प एवं अन्य कर्तों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःस्थापन के लिए किया जाए।
17. ओवरलैंड एवं अनुपयोगी / बिडी कर्तों खनिज (विन्ट रीक) को पृथक से पूर्व से विन्ड्रीत स्थान पर संचालित किया जाएगा। इस प्रकार के संचालन स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि संचालित परदाई अना-पना की भूमि पर

विशेष प्रभाव न डाल सकें। अन्य की ऊँचाई 3 मीटर तथा गहोर 20 डिग्री से अधिक न हो। औपरखार्डन काम का समय रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से पूजायेना किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो औपरखार्डन एवं अन्य अनुमोदी/किरी अधीन्य खनिज (मिट रोकर) को खनन की परतगत बने सड़कों में पुनर्स्थापन (बिक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा बंजित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के जमा-घटा के सारही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में स्ट्रेनिंग वॉल / नारलेयड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन सड़कें बाहन से किया जाए, ताकि खनिज बाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे बाहनों को समय से अधिक नहीं घा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at nearby Govt. Primary School Village-karna	
			Installation of Separate Water Tank for Drinking	0.47
			Running Water Arrangement in Toilets	0.17
			Donation of Books related to Environment Conservation	0.10
Total			0.74	

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अधिवर्त रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरंत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अधिवर्तिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करके अन्तत उत्तरदायित्व होगा। पूजायेना अवसर होने पर पर्यावरण स्वीकृति निवृत्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परिवोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं पूजायेना कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ओपरटॉर/प्रतिनिधि, घा)

पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., जीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, जीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता, कड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोज/बट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा किये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
25. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (आयी तरह 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, जोलबर्डीन काम आदि में स्थानीय प्रजाति के 200 नमूने वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. इस्थानिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नमूने प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसु, आम, इमली, अजुन, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 वृक्षों का रोपण (कुल 200 वृक्षों) खदान के सुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या काटेदार टार के बाड़ अथवा डी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किन्हीं क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले वृक्षों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले वृक्षों में संख्यांकन (Numbering) एवं वृक्षों के नाम का तालिका बनाने हुये जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी वाला प्रिंटेडन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित वृक्षों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित बनाने हुये मृत वृक्षों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित वृक्षों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित कक्षर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसिलिटी सहित) लगाया जाए।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस आधारितिक रिपोर्ट में सम्पहित बनाने हुये भारतीयनद पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं सी.ई.आर. उत्तरीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
31. परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कर्ब एवं लोक चुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कर्ब करना, जीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं किये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले

धमिकों को इधर-उधर/पक आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विधिवतबीध जीव एवं आवस्यकता अनुसार उनका उपचार भी बनाया जाए।

33. कंट्रोल एक्टिंग का कार्य डी.डी.एच.एल. द्वारा अधिकृत लिसेंसहोल्डर लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए जखर के छोटे-छोटे टुकड़ों (ब्लॉक रॉक) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। बंट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे अल्ट का प्रसारण नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का सन्तुष्ट संरक्षण अपेक्षा दायित्व होना।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन ब्लिज का उत्खनन प्रलीसगढ़ ग्रीन ब्लिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मार्च 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि कौनिस अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे धमिकों के आसार एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आभासीय व्यवस्था अधिवासी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. धमिकों के लिए खनन स्थल पर सख्त पेवजल विधिवतबीध सुरक्षा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. धमिकों का समय-समय पर आस्पेकेशनल हेल्थ सर्विलेस करना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अवशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एल.ई.आई.ए.ए. प्रलीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समिति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही वह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी समिति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा सैन्ट, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के परलक्षण हेतु अधिकृत करता है।
42. एल.ई.आई.ए.ए. प्रलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की सुरुआत में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की वसा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्कर्षण / निर्यात के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 3 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यवस्था रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, प्रलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एल.ई.आई.ए.ए. प्रलीसगढ़ की वेबसाइट parishad.nic.in पर भी किया जा सकता है।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकानुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिषेजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए रिपोर्टों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिषेजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
47. परिषेजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी परिशिष्टक्रम और अन्य अधिशिष्ट (प्रकाश एवं सीमाकार संरक्षण) विधायी नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (जमा संशोधित) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परिषेजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनुसृत विवरण में कोई भी विस्तार अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। प्रदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

सचिव, एस.ई.ए.सी.

मेकर्स रिजर्व सिन्डिकेट लिमिटेड (गुरुनाथगंज अर्बिनरी स्टोन टेम्पलरी परमिट कार्ड (21))
 को खसरा क्रमांक-233/1, 233/2 एवं 234(गार्ड), कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर,
 ग्राम-गुरुनाथगंज, तहसील-पथारगंज, जिला-जहानपुर में सम्पूर्ण पथार (सील खनिज)
 उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता - 3,28,858 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति
 में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को
 बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कर्तव्य से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की
 अवधि हेतु वैध है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं उत्खनन क्षमता 2 वर्षों
 में कुल क्षमता - 3,28,858 टन से अधिक उत्खनन किया जाना, पाये जाने पर जारी
 पर्यावरणीय स्वीकृति उत्कल प्रभाव से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दम्भामक
 कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त उत्खनन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न
 करने पर परिशोधना प्रस्तावक को काली सूची में भी डाला जा सकेगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षमता (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा
 प्रतीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम
 हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से सम्पूर्ण पथार का अधिकतम उत्खनन 2
 वर्षों में कुल क्षमता - 3,28,858 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का
 सीमांकन कतारन चकके मुनारे लगाया जाए।
3. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य झरोका द्वार पर सूचना पट्टा (लीज धारक
 का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांस एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति
 अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किन्ती जलस्तर में है, तो पर्यावरणीय
 स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जनित जोखन बर्तन को दिकान किया जाता है तो, सखन प्राधिकारी से
 अनुमति प्राप्ति किया जाए।
6. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धौलू दूषित जल (यदि कोई हो),
 के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की केंद्रा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन,
 मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों को
 पालन रहेगी।
8. मासिक एन.डी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा
 मासिक पथार एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु
 परिशोधना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किन्ती भी जलवायु से दूषित जल को किसी
 नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किन्ती भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए,
 अथवा इसे प्रक्रिया में अथवा कुलरेशन हेतु पुनः उपयोग किया जाए। धौलू दूषित जल
 के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को
 किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किन्ती भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया
 जाए। दूषित जल एवं धौलू जल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की

जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा जलवायु परिवर्तन संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पट्टा वालक खान संचालन बंद करने के उपरोक्त (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खान की खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रोसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस विधि तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उपलब्ध हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित नार्थन क्लोजर प्लान एक सह के नीचे प्रस्तुत किया जाए।
11. सू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो ली) हेतु केंद्रीय सू-जल बोर्ड से परामर्श प्राप्त करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी किन्नी / पैट / फाईट सीरी से पर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इससे, खनि, ट्रांसफर फाईट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का ड्रेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्सर्जन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पर्यावरण अट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। पर्युष मार्न, रेन्, संवहन क्षेत्र, मर्राई एवं अन्य अट उत्सर्जन बिन्दुओं अट कंटेन्मेंट कम संवेक्षण सिस्टम एवं जल डिफ्लोव की व्यवस्था की जावन इससे सहाय संचालन /संभरण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ड्रेकिंग वील का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्सर्जन क्षेत्र में पर्यावरणीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. लीज क्षेत्र के बायीं तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई ड्रेग का अट / मर्राकरण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षरोधन किया जाए।
15. उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सीईल) का उपयोग उत्सर्जन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि को पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडिंग को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सीईल) को लीज क्षेत्र के बाहर प्रकृत से मर्राकरण करने की अनुमति नहीं होगी।
16. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिड़ी अवोद्य खनिज (डिस्ट रीक) को प्रकृत से पूर्व से किन्हीत स्थल पर मर्राकरण किया जाएगा। इस प्रकृत के मर्राकरण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि मर्राकरण प्रदाई अना-पना की भूमि पर किन्हीत प्रभाव न डाल सके। अना की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 25 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग अथवा अट अलग रखने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षरोधन किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अवोद्य खनिज (डिस्ट रीक) को खनन के परचात बने गड्ढों में पुनःस्थापन (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा किन्हीत वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रशासक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिफ्ट सीक क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्तरों में प्रचलित न हो। इसे रोकने हेतु सड़क पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / ग्राउन्डवॉटर ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन मेशनेरली कन्ट्रॉर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज बहान से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन इन चूने वाहनों को सड़क से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.43	2%	40.86	Following activities at Govt. Primary School Bhawan Village- Kachhar	
			Plantation	0.45
			Total	0.45

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण तत्पश्चात् संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आन्वयिक रिपोर्ट में समाहित करती हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आसक्त उत्तरदायित्व होगा। कुशलतापूर्वक अत्यन्त होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
22. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में (आवना, बर, पीछल, नीम्, आम, अर्जुन, डेल आदि) कुशलतापूर्वक हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 वर्ग फीटों के लिए राशि 500 रुपये, छात्र के लिए राशि 3,000 रुपये, मिठाई तथा रस-रसम आदि के लिए राशि 2,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 32,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. एवं कुशलतापूर्वक कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ऑफिसाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम संस्था के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं विला प्रशासन या प्रखण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलतापूर्वक का कार्य पूर्ण किये जाने के तत्पश्चात् गठित त्रि-पक्षीय समिति से सहायित कराया जाए।
24. जब भी निरीक्षण टम/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें छाया/छाया/भद्रा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपने द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यकी निर्दिष्ट होगी।
25. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (धारी लम्बा 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील पीट, ओवरसाईड डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 334 पक्षी का सफा कुशलतापूर्वक किया जाए। प्रति पक्षी का विकास केन्द्रीय प्रकृत्य निरक्षण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. प्रभावितता के अन्तर्गत पर खदान प्रवेदन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, पीप, कपड़ा, चीसू, जाम, इमली, अर्जुन, गीरुआ आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नम पीपों का रोपण (कुल 734 नम पीपों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुदृशित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित जल पंचायत द्वारा किन्हीं क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट लंबाई वाले पीपों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पीपों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपों के नाम का तालिका बनते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी पत्रजन इतिवेदन के साथ जमा करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सफ़्त वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीपों का सतर्कईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रक-रखाव अवधि 5 वर्ष तक सुनिश्चित कलते हुये मृत पीपों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्निक रिपोर्ट में सम्मिलित कलते हुये तालिकाबद्ध पर्यावरण संरक्षण कन्वेल एवं एस.ई.आई.ए.ए., तालिकाबद्ध की प्रेषित किया जाए।
30. परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. को तहत प्रस्तावित कार्य कलना नहीं गये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त कलने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परिवर्जना से दिन-दिन स्थलों से पपुजिटिव इन्स्ट उत्तार्जन होगा, जल स्थलों पर नियमित जल किड़कल की व्यवस्था किया जाए।
32. परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा निरस्त कलसोहन नियम (Mineral Concession Rule) की तहत बालम्प्टी पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
33. परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल सिकायों को संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
34. परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूशन को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्तन्न क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम कलने वाले यन्त्रों को इन्धनधन/कच आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर विकिरणकारी जीव एवं आवाजकला अनुसार उनका उपचार भी करवाया जाए।
35. स्थान अधिकारी / डी.जी.एन.एस. के अनुमति उपरांत डिफ़ोर्टक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुदृशित एवं निर्धारित विधि से कंट्रोल बलरिडिंग किया जाए। चत्तर के छोटे-छोटे टुकड़ों (सलाई रोक्स) को टुकड़ने से रोकने हेतु सर्किट एवं स्थान व्यवस्था किया जाए। गैट ट्रिलिंग अथवा वायु प्रदूशन नियंत्रण व्यवस्था अस्थापित ट्रिलिंग किया जाए, जिससे कल्ट का उत्तार्जन नियंत्रण में रहे।
36. उत्तन्न प्रक्रिया नू-जल स्तर के उपर असंयुत प्रमाण में की जाएगी एवं उत्तन्न प्रक्रिया नू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

37. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि सभी निम्न वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दूषनाह न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण अपेक्षा राखित होना।
38. लीज क्षेत्र में कुछ जीवित वृक्ष हैं, जिसे बहुत आवश्यक होने पर ही उखाड़ कर कटाई रखान प्राधिकारी से अनुमति उपरोक्त ही की जाएगी।
39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीम खनिज का उत्खनन प्रत्तीभागद्व गीम खनिज नियम, 2016 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
40. कार्य स्थल पर यदि सेमिनॉल अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक अथवा अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त हटाया जा सके।
41. श्रमिकों के लिए खान स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसकीय सुविधा, नौबंदल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
42. श्रमिकों का समय-समय पर आयुपूर्वकाल हेल्थ सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
43. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, विनायें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए. प्रत्तीभागद्व / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
44. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा ब्रेन्ड, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के अन्तर्धान हेतु अधिकृत करता है।
45. एन.ई.आई.ए. प्रत्तीभागद्व पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिचालन अथवा निर्निदिष्ट शर्तों के अन्तर्गत रूप से चलान न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरक्षण के मासकों को और साफ करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
46. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाजान पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, प्रत्तीभागद्व पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एन. ई.आई.ए. प्रत्तीभागद्व की वेबसाइट paribhaga.nic.in पर भी किया जा सकता है।
47. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के चलान हेतु की गई शर्तों/शर्तों की कई वार्षिक रिपोर्ट प्रत्तीभागद्व पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, अटल नगर क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्तीभागद्व पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय, रायचंद, एन.ई.आई.ए. प्रत्तीभागद्व एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
48. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के चलान की भौतिकीय की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं

100

0

आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

48. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/ अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली नोटिफिकेशन हेतु पूर्ण साक्ष्य प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
49. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशिष्टों और अन्य उपशिष्ट (अंक 1 एवं सीमांत संशोधन) नियम, 2018 तथा लोक सचिव की अधिनियम, 1986 (तथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
50. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की दशा में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने संबंध निर्णय ले सके। अतः में कोई भी विफलता अथवा उल्लंघन एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
51. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, टिळा-बाजार एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
52. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य सचिव, एम.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एम.ई.ए.सी.

वेसर्न डिस्ट्रिक्ट बिस्नेस डेवलपमेंट लिमिटेड (दुरुवाजाम् अडिनेनी स्टोन टेम्पलरी चर्चिट कारी (02)) की खसरा क्रमांक 243/2, 219/12/ग, 219/12/घ, 219/12/च एवं 219/12/ड, कुल लीज क्षेत्र 0.994 हेक्टेयर, ग्राम-दुरुवाजाम्, तखनील-पत्थलनांव, जिला-प्रयागर में साधारण पत्थर (ग्रीन ब्लिन्ड) उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता - 2,00,134 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कन्डाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्काशन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 0.994 हेक्टेयर एवं उत्खनन क्षमता 2 वर्षों में कुल क्षमता - 2,00,134 टन से अधिक उत्खनन किया जाना, चारे जाने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक सन्शुद्धात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त उत्खनन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न करने पर परियोजना प्रस्तावक को काली सूची में भी डाला जा सकेगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.994 हेक्टेयर अथवा समतुल्य साधन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता - 2,00,134 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कन्डाई परचम मुहाने लगाया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांत एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जलित लोहर बर्तन को विकल्प किया जाता है तो, सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), को उपचार की दृष्टि एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संवाहन द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (क्या संशोधित) के प्रावधानों के तहत होगी।
8. पारंपरिक एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 20/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा वास्तुविग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कन्डाई जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा कुलरोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल को उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की

जाए। उपरोक्त दूषित जल की गुणवत्ता माना सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संकलन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा जलवायु परिवर्तन संकलन मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. सभी पट्टा धारक स्वयं संभालन बंद करने के उपयोग (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खननी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, खननी पी-डाइनिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह बाढ़, वनस्पतियों, जीवी आदि के उपयोग हेतु उपयुक्त हो। परिवहन प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
11. यू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केंद्रीय यू-जल बोर्ड से परखन प्राप्त करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी विनरी / डैट / चाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिमीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इससे, महीन, ट्रांसपेरेंट फाइल्टर (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कस्ट एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के साथ एक ब्रता का बैक फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न फ्लुइडिज इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। प्लैंथ बार्न, कैम्प, संभालन क्षेत्र, भण्डार एवं अन्य कस्ट उत्सर्जन विन्दुओं इस्ट कंटेनमेंट कम एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम एवं जल विच्छेदन की व्यवस्था की जाकर इसका कस्ट संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुक्रम रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेष्टीय वायु की गुणवत्ता माना सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन संकलन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. सीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / सम्भालन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई खननी मिट्टी (टीन सीईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडिंग को मिट्टा (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। खननी मिट्टी (टीन सीईल) को सीज क्षेत्र के बाहर कृषक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
16. ओवरलैंडिंग एवं अनुमोदनी/बिडी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को कृषक से पूर्व से विन्डिल स्थल पर सम्भालित किया जाएगा। इस प्रकार के सम्भालन स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढग्य की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्तरीय 20 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग ढग्य का काल रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुमोदनी/बिडी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पर्याप्त बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पुनः उपयोग अथवा बाधित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीक क्षेत्र के आस-पास के सारी जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन पीट तथा अन्य क्षेत्र में सिट्टिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन सेकनेकली कन्वर्टेड वाहन से किया जाए ताकि खनिज वाहन से बहान नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को अमरा से अधिक नहीं पता जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.41	2%	0.4082	Following activities at Govt. Middle School Village- Pangeera	
			Installation of separate water tank for drinking & Soak Pit	0.32
			Donation of books related to Environment Conservation	0.10
			Total	0.42

21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त कर आधिकारिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कुशाचेपन असाफल होने पर पर्यावरण सौकरुति निरस्त की जावेगी।
22. सी.ई.आर. एवं कुशाचेपन कार्य के कोऑर्डिंग एवं परीक्षण हेतु वि-पक्षीय समिति (डीपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मण्डल की पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशाचेपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त पठित वि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें सदान/पहोच/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आने वाले कार्य बड़े कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
24. उल्लंघन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (भारी तलक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, औद्योगिक अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 500 कुर्ी का सघन कुशाचेपन किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।





25. प्रामाणिकता के अभाव पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, दीपल, नीम, कपड़, सीसू, जाम, इमली, अर्जुन, शीला आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नम नमूनों का रोपण (कुल 7000 नम नमूने) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुदृशित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जथा कांटेदार तार को बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वसा में संबंधित दान पंचायत द्वारा विन्हील क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
26. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करती हुई फोटोग्राफ सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
27. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थल वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सल्वाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रक-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करती हुई मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करती हुई अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण सफल एवं एस.ई.आई.ए.ए. अतीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आई.ए. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से क्युवैटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री प्लान्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं जागरूकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. स्वाम प्रधिकारी / डी.जी.एन.एस. से अनुमति उपरोक्त विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुदृशित एवं नियंत्रित विधि से उद्दोल कार्रवाई किया जाए। बल्पर के छोटे-छोटे टुकड़ों (सलाई रोक) को रकने से रकने हेतु पर्याप्त एवं स्वाम व्यवस्था किया जाए। गैट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अवांछित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल सार के उत्तर असंतुप्त प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि सभी स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का सुनिश्चित संरक्षण आवश्यक दायित्व होगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीचे उल्लिखित का उत्खनन छातीसगढ़ ग्रीन खनिज निगम, 2016 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। सईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि खनिज अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवस्य हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अत्यासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. श्रमिकों के लिए खान स्थल पर लक्ष्य वेतनगत विभिन्नस्वीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. श्रमिकों का समय-समय पर आउटरीचिंग हेल्थ सर्विलेस करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्भारित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा कंट्रोल, कब्जा एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संप्रदाय में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निवृत्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लार्जन / निवृत्त के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट sarvashah.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायचढ़, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेख शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए वस्तुतंत्रों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एस.ई.आई.ए.ए. अतीसतद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / अतीसतद पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली पर्यावरण हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना असावक बात निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
48. परियोजना असावक अतीसतद पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धकृतमय और अन्य अधिनियम (प्रबंध एवं सीमांकन संघटन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन निर्दिष्ट की जा सकती है।
49. असावक परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. अतीसतद में असावक विवरण में कोई भी विवरण असावक परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. अतीसतद को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. अतीसतद इस पर विचार कर शर्तों की अनुकूलता असावक नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। असावक में कोई भी विवरण असावक उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. अतीसतद / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. अतीसतद पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उसके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील मेकनल डीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, मेकनल डीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

सचिव, एस.ई.ए.सी.

नेशनल विलेज विल्डवॉन लिमिटेड (दुरुवाजामा अधिनियम स्टोन टेम्पली परमिट क्वारी (23))
को खसरा क्रमांक 222/1, 222/3, 219/9/ख, 219/9/ख एवं 232/1, कुल लीज
क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम-तुसकाबान, तहसील-काथलगांव, जिला-जसपुर में सामान्य फलन
(लीज खनिज) उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्रमता - 1,08,000 टन से अधिक न ही, हेतु
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली हार्त

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित हार्तों से अतीत दी जा रही है। अतः इन हार्तों को
बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की
अवधि हेतु वैध है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं उत्खनन क्रमता 2 वर्षों
में कुल क्रमता - 1,08,000 टन से अधिक उत्खनन किया जाना, धार्य जाने वन जारी
पर्यावरणीय स्वीकृति तात्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक इच्छात्मक
कार्यवाही की जाएगी। बचोला उत्खनन हेतु तथा निम्नलिखित हार्तों का पालन न
करने पर परिशोधना प्रस्तावक को काली सूची में भी डाला जा सकेगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा
घाटीखण्ड सातन, खनिज सातन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (सीमेंट में से जो कम
हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से संचालन फलन का अधिकतम उत्खनन 2
वर्षों में कुल क्रमता - 1,08,000 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का
सीमांकन कराकर पक्के मुगारे लगाया जाए।
3. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक
का नाम, खदान का क्षेत्रफल आदि) एवं देहातर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति
अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय
स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जनित ओवर बॉन को नियंत्रित किया जाता है तो, सखन प्राधिकारी से
अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलू दूषित जल (यदि कोई हो),
के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन,
संजालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (समा संशोधित) के प्राधान्यों से
तहत रहेगी।
8. मानवीय एन.डी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा
माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के हार्त का पालन सुनिश्चित करके जाने हेतु
परिशोधना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी
नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए,
अतितु इसे प्रक्रिया में अथवा कुलपानन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धरेलू दूषित जल
के उपचार के लिए सैटिक टैंक एवं सॉफ्टीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को
किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया
जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की

जाए। उपरोक्त दूधित जल की पुनर्पस्थापना भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संकलन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा अतीरलगत पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पट्टा भारतक खान संरक्षण बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खानन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, जंगली से-ग्रोसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्प्राप्तना इस विधि से एक किया जाएगा, जिससे यह बाघ, वनस्पतियों, जीवों आदि के प्रभावित हेतु उपयुक्त हो। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा खान प्रक्रियाओं से अनुभावित नईन कलोजन प्दान एक म्ह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
11. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो गी) हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से परखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
12. किसी किसी / वेट / फाईट सोल से परिकुलेट केटर उत्खनन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अगर, खनि, ट्रांसफर बाधक (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्ट एक्स्टेंशन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का सेप सिस्टम स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्युमिटीव अल्ट उत्खनन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। पहूँच मार्ग, रेम्, संरक्षण क्षेत्र, मनाई एवं अन्य अल्ट उत्खनन विन्दुओं अल्ट कॉन्सेन्ट कम संवेतन सिस्टम एवं जल सिद्धांत की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संरक्षण / संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
13. बाढ़नी, खान एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की पुनर्पस्थापना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. लीज क्षेत्र के सभी तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का संग्रह / सम्भारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृषांतोषण किया जाए।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई कपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुन उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंड को फिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। कपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को लीज क्षेत्र के बाहर प्रथक से सम्भारित करने की अनुमति नहीं होगी।
16. ओवरलैंड एवं अनुपयोगी/बिडी उपयोग खनिज (वेस्ट रोक) को प्रथक से पूर्व से विन्हील स्थल पर सम्भारित किया जाएगा। इस प्रकार के सम्भारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि सम्भारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विगिरित प्रभाव न आत सकें। अन्य की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्तरीय 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरलैंड अन्य का धारण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से कृषांतोषण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंड एवं अन्य अनुपयोगी/बिडी उपयोग खनिज (वेस्ट रोक) को खान के परिसर में बंदकों में पुनर्प्राप्त (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीड क्षेत्र के आवा-पान के लक्ष्य जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसी संकेत हेतु नदीन वीट तथा अन्य क्षेत्र में सिटिंग बॉल / बायोमैट्रिक्स ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
19. खनिज का परिवहन बेकनेकरी कन्डर्र खनन से किया जाए, ताकि खनिज सहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कम रोल सारनों को क्षमता से अधिक नहीं करा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार इत्याय एट कार्ड पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.43	2%	0.408	Following activities at Govt. Primary School Village- Katanglor	
			Installation of separate water tank for drinking water	0.15
			Pipeline sanitary ware, Installation, Sock pit in School Toilet	0.20
			Donation of Books related to Environment Conservation	0.10
Total			0.45	

21. सी.ई.आर. के लक्ष्य निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करके हुवे प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अत्यन्त उत्तरदायित्व होगा। कुशलतापूर्वक असफल होने पर पर्यावरण सौकरुति निरस्त की जावेगी।
22. सी.ई.आर. एवं कुशलतापूर्वक कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम संघपत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रतीनागड़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलतापूर्वक का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति के संस्थापित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्कूल पर आवे, तब उन्हें खदान/खडौन/भरटा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के लक्ष्य आपकी द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अत्यन्त जिम्मेवारी होगी।

24. राजधानी हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तलक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरलैंडिंग डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 310 पौधों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
25. प्रत्यक्षता के आधार पर सघन प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम्, कर्जद, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, पीला आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नए पौधों का रोपण (कुल 1,010 नए पौधों) सघन के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कस्टोडियन टार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
26. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करती हुई फोटोग्राफ्स सहित जानकारी वाला प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
27. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सजाईवेल नेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रक-स्थान आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करती हुई मृत पौधों की प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किने चारो वृक्षारोपण की पुरती हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अपेक्षांकित रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये प्रत्तीसंगत पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., प्रत्तीसंगत को प्रेषित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आई.ए. को उचित प्रस्तावित कार्य करता नहीं चारो जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से क्युजिटिव डस्ट उत्पन्न होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के उचित बाउन्ड्री मिल्लरी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, खोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकासों के संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उल्लंघन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले धमिलों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं जागरूकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. सघन अधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाए। फ्लार के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सघन व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा अन्य प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अपेक्षित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे अक्ट का उल्लंघन नियंत्रण में रहे।

अवेदन का पूर्ण मेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को भेजित किया जाए।

47. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकी / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली नोटिफिकेशन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करवा नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय नवीकृति निरस्त की जा सकती।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धता और अन्य अपेक्षित (इसका एक तीसरा संस्करण) नियम, 2018 तथा लोक कृषि विद्यापीठ अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने का मत निर्धारित कर सके। सद्य में कोई भी विस्तार अथवा उपलब्ध एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय नवीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आयुक्त एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय नवीकृति को विरुद्ध अपील गैरजल हीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, गैरजल हीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

एस.ई.ए.सी.

वेगर्स कोषधारीयाम-1 क्षेत्र गाईंग (अपराध, राम पंचवत अटुकपल्ली)
की पार्श्व जीव संरक्षण क्षेत्रों 01, कुल क्षेत्रफल-2,023 हेक्टेयर में से 2,02 हेक्टेयर को कुल
80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही, प्लान-कोषधारीयाम, उदसील-मीनालपट्टणम्, जिल्ला-वीजापुर
(म.प्र.) में इजाजती नदी के रेत उत्खनन सन्तत 30,300 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित
पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली है।

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को
सतत ध्यान में रख कर कार्य तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खण्ड पट्टे के निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की
अवधि हेतु वैध होगी।
2. यह अध्ययन (मिस्ट्रीशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में
आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Detailed Study) करायेगा, ताकि रेत की
पुनर्भरण (Replenishment) वास्तु शाही आकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट,
स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की सुव्यवस्था
पर रेत उत्खनन के प्रभाव की शाही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीव क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (जीव
क्षेत्र का नाम, खदान का क्षेत्रफल आदि) एवं वेगर्स सहित, उत्खनन की मात्रा,
स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज निभण द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर
के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल संख्या 4.3 हेक्टेयर से अधिक होता है तो
पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. उत्खनन क्षेत्र 2,02 हेक्टेयर को कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। रेत
80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन शाही किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5
मीटर गहराई तक ही किया जाएगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम
उत्खनन 30,300 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
6. कानूनी एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा
गाईंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करवा जाने
हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना होगा।
7. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विद्य बिन्दुओं पर नदी में
रेत की मात्रा के सारों (Levels) का शाही बन, उसके आकड़े लगाएल एचईआईए,
ए, प्रतीकसूचक को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत
उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विद्य बिन्दुओं में गाईंग जीव क्षेत्र तथा जीव
क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खान जीव के खतर /
नदी तट (दीनी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में गहरी सतह के सारों (Levels)
का शाही पूर्व निर्धारित विद्य बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खान
खतर मानसून के पूर्व (जुई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी
विद्य बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह
के पूर्व निर्धारित विद्य बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य
आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आकड़े दिनांक 2023,
2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आकड़े अगला 2023, 2024.

2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए. अंतिमपत्र को लागू किया जाएगा।

8. रेत की खुदाई एवं मटाई अभियानों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण यांत्रिक (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। स्थिर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीड क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लीडिंग थाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।
9. रेत का उत्खनन केवल विन्हीत, सीमित एवं सीमित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सरासरी से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर अधिकतम दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की रेत नदी तल (हाई रीफ) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
10. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 1.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो अधिकतम ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षय न हो। किसी भी पुलिया, स्टापवेज, बंध, एनीकट, जल डायम अथवा एवं अन्य सहायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तक डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी तल का स्तर, लीडिग एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
12. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें एक विशाल आवा-पारा के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु बसलत हेतु निर्धारित न हो। कचुकी के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
13. रेत उत्खनन एवं मटाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अधिक उत्खनन करने जाने की स्थिति में परिषद/प्रशासक के विरुद्ध गिरफ्तार कार्यवाही की जायेगी।
14. परिषद/प्रशासक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभुत्वों वाले लीडिंग / अनलैगिड आदि से उत्खनन होने वाले क्वार्टिजिटेड इस्ट उत्खनन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल सिककाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय वायु की गुणवत्ता माता सारकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होने चाहिए।
15. रेत का परिवहन तारपीटिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इनके दूर बहन से किया जाए, ताकि रेत बहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर को वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं करा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
17. पर्यावरण के अभाव पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीड क्षेत्र के अनुसार ऊर्ध्व, जलून, बंध, पीपल, गैंग, कंज, लीसू, आम, इनजी, सीस आदि अन्य स्थानीय प्रजातीयों के कुल 500 वन पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं

पंक्ति व्यवस्था (जिसा कॉन्टीनर खान की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीछी का ही उपयोग किया जाए। उपयोग कृतकृत्य प्रखण वर्ग में पूर्ण किया जाए। पंक्ति पीछी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आदेश कर राज्य पत्र प्रस्तुत किया जाए। पंक्ति पीछी की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परिवहन प्रशासक कर रहेगा।

18. पंक्ति किये जाने वाले पीछी में संख्यांकन (Marking) एवं पीछी के नाम का प्रत्येक कनोत हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्कृतिक रिपोर्ट के साथ जमा करे। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
19. कृतकृत्य का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करके हुये पूत पीछी को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
20. किये गये कृतकृत्य की पूर्ण हेतु डी.जी.पी.एम. (Differential Global Positioning System) सरी एवं फोटोग्राफ अर्थात्कृतिक रिपोर्ट में समाहित करके हुये कृतकृत्य पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. कृतकृत्य को पंक्ति किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव कर कार्य पर्यावरण प्रखण योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
0.8	2%	0.44	Following activities at Nearby Gram Panchayat Bhawan, Village- Atukpalli	
			Plantation in Panchayat Bhawan	0.44
			Total	0.44

22. सी.ई.आर. के लक्ष्य निर्धारित कार्यवाही 08 लाख में अधिचार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपयोग प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण प्रस्ताव संश्लिष्ट राम संकाय के कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्कृतिक रिपोर्ट में समाहित करके हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य को सफलता सुनिश्चित करने अथवा उत्तरदायित्व होगा। कृतकृत्य अस्तकृत्य होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत राम संकाय भवन, अटुकपाली में (पिपल, नीम्, आम, जामुन, कदम आदि) कृतकृत्य हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 गज पीछी के लिए सति 2,500 कयदे, टी-गार्ड के लिए सति 30,000 कयदे, खाद के लिए सति 500 कयदे, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए सति 2,000 कयदे, इस प्रकार प्रखण वर्ग में कुल सति 35,000 कयदे तथा आगामी 4 वर्षों में कुल सति 8,200 कयदे हेतु पर्यावरण व्यव का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करे।
24. सी.ई.आर. एवं कृतकृत्य कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यावरण हेतु वि-पक्षीय समिति (गोसाईंटर/इतिमिदि, राम संकाय के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन

या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की परामर्शदात्री/अतिरिक्त सचिव किया जाए। साथ ही सी.ई.ओ. एवं कुशलरक्षण का कार्य पूर्ण किये जाने की उपरान्त महिला वि-पक्षीय समिति से सलाहपत्र कराया जाए।

25. जब भी निर्देशन दल/अधिकारी निर्देशन हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें कवान/जखान/मट्टा के निर्देशन के साथ-साथ सी.ई.ओ. के तहत आगले द्वारा कराये गये कार्यों का निर्देशन भी अनिवार्य रूप से कराया जाना अनिवार्य होगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.ओ. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को मिलाया करने की कार्यवाही की जाएगी।
27. परियोजना प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रीत-उत्पन्न आदेश करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिपत्र प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर क्षेत्र/राज्य सरकार, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / धर्मदासिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
28. छत्तीसगढ़ नील समित्त नियम, 2018, राज्य शासन द्वारा रीत उत्पन्न हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी विधा निर्देशों, अनुमोदित उत्पन्न योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
29. कार्य स्थल पर यदि केषिण अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे स्थितियों के आकलन की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अनिवार्य व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही करायी है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
30. स्थितियों के लिए खानन स्थल पर स्वयं केवल विधिलेखीय सुविधा, मंचाटन टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी के गल गुरु विरालन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का निराकरण सुनिश्चित करना।
31. स्थितियों का समय-समय पर अद्यतनीकरण हेतु सुनिश्चित कराया जाये।
32. उत्पन्न की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्पन्न योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच.ई.ओ.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु संचालन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
33. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी सम्पत्ति को मुक्तताय पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा क्षेत्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के परस्पर हेतु अधिकृत करता है।
34. एच.ई.ओ.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्यालय से परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/मिलान करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा हटाने / निर्यात के मागलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
35. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यवस्था रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों

के नीचे इस आशय की सूचना प्रसारित करने कि परियोजना को सहायक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ संबंधित सभी स्थित अधिकार, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हो चुकी हैं। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaa.in पर भी किया जा सकता है।

36. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की जाय। वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जयदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदात शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निदेशिका/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

38. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निरोधन) अधिनियम, 1984 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा निरोधन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंरचना अधिनियम (प्रस्ताव प्रस्ताव एवं सीमाएं संघटन) नियम, 2008 (पंच संसोधित) तथा लोक शक्ति विधेय अधिनियम, 1987 (पंच संसोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

39. समाप्ति परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की वृत्ता में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस का विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने काया निर्णय ले सके। सदाय में कोई भी विफलता अथवा उन्मथन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनसे क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-भागल एवं उद्योग बोर्ड एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

शर्तों रेगुलेशन-1 सीधे माईनिंग (सहयोग, धाम पंचायत महकमा)


को पार्ट जीक खखत अगोंक 01, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही, धाम-रेगुलेशन, तहसील-गोपालपटनम, जिला-बीजपुर (प.प.) में इटावली नदी से रेत उत्खनन क्षमता 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए:

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निर्धारण की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. माद अध्ययन (मिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Baseline Study) करवायेगा, ताकि रेत के पुनर्माण (Replenishment) बाध नही आये। रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंपत्ति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घनी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीव क्षेत्र के कुछ जलक द्वारा पर सूक्ष्म मछल (जीव धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांक एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी बलभर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल क्षमता 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. उत्खनन क्षेत्र 4 हेक्टेयर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। रेत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
6. मासिक एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 30/03/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग पहलू एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
7. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर नदी में रेत की सतह के पापी (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ों तालिकाएं एच.ई.आई.ए. ए. एन.टी.ए. को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्टी बिंदु बिंदुओं में माईनिंग जीव क्षेत्र तथा जीव क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन जीव क्षेत्र के बाहर / नदी तट (घोरे और) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के पापी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिंदु बिंदुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन प्रारंभ मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्टी बिंदु बिंदुओं पर रेत सतह के लेवल/Levels का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित बिंदु बिंदुओं पर रेत सतह के लेवल/Levels के मापन का कार्य आगामी 4 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024,

2023, 2023, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एच.आई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे।

8. लीज क्षेत्र में कुछ जीवित वृक्ष हैं, जिसे बहुत आसपास होने पर ही कटाव किया जाये।
9. रेत की खुदाई एवं भरवाई अधिकृत द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण यंत्र (Machinery) अथवा का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेत क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लैंडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेसी द्वारा किया जाएगा।
10. रेत का उत्खनन केवल विन्ड्री, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अधिक अधिकतम जल सतह की ऊपरी सतह से 1 मीटर अधिकतर होने में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल सतह के नीचे नहीं किया जाएगा। अधिकतम 2 मीटर गहराई तक की रेत नदी तल (हार्ड बैंक) से उत्तर छोड़ा जाना आवश्यक है।
11. रेत उत्खनन नदी तटी के कम से कम 2.5 मीटर ऊपरी नदी की चौड़ाई से 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो अधिकतर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षय न हो। किसी भी पुलिया, स्टापकेन, बंध, एनीकट, जल प्रवाह व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से उत्थान के आस्ट्रीन में न्यूनतम 300 मीटर तथा आउटस्ट्रीन में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
12. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विचलित प्रभाव न पड़े।
13. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल लसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्धारित न हो। कछुओं के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, जहां इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
14. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधे उत्खनन वाले जाने की स्थिति में परिसीमा प्रसाधक के विद्युत निशानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
15. परिसीमा प्रसाधक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रकारों तथा लैंडिंग / आउटलैंडिंग आदि से उत्थान होने वाले पर्युजिटिव बस्तु उत्सर्जन के निरोधन हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़कण अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिसीमा वायु की गुणवत्ता मासिक सतह, पर्यवहन, पन और जल वायु परिवर्तन, संकलन, नई दिल्ली हाउठ अधिसूचित प्राणियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
16. रेत का परिवहन गार्मेटिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इसके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर यह वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
18. प्रत्येकता के अन्तर्गत पर वाहन प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जलुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, कीसू, आम, इलाय, सीस आदि अन्य स्थायी वृक्षारोपों से कुल 1,000 वग वृक्षों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण की सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त



एवं पर्याप्त कवरला (यथा कंटेनर टार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। ६ पीट में ६ पीट ऊंचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीछों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी ६ वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आदेश का हल्का पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीछों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी ६ वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परिशोधना प्रस्तावक का रहेगा।

19. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्तः रिपोर्ट में साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
20. वृक्षरोपण का रख-रखाव आगामी ६ वर्षों तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
21. किये गये वृक्षरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्तः रिपोर्ट में समाहित करते हुए उत्तीर्णपत्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एन.ई.आई.ए.ए., उत्तीर्णपत्र को प्रेषित किया जाए।
22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
8.04	2%	0.16	Following activities at Nearby Gram Panchayat Bhawan, Village- Bhadrakali	
			Plantation	0.44
			Total	0.44

23. सी.ई.आर. के उद्देश्य निर्धारित कार्यवाही 08 मजदूरी अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्तः रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अगला उत्तरदायित्व होगा। वृक्षरोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
24. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन, मदानगरी में (पौधल, गैंग, आम, जामुन, करंद आदि) वृक्षरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नम पीछों के लिए रु. 2,500 रुपये, ट्री-नाई के लिए रु. 30,000 रुपये, खाद के लिए रु. 500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए रु. 3,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रु. 34,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल रु. 8,200 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
25. सी.ई.आर. एवं वृक्षरोपण कार्य के निगरान एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के मर्याधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का उत्तीर्णपत्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल के मर्याधिकारी/प्रतिनिधि) सहित किया

जाए। साथ ही सी.ई.ओ. एवं कुशलरक्षण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त नष्टि वि-प्रतीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/खोख/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.ओ. के तहत आये हुए कर्मचारी एवं कर्मियों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यक होगा।
27. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.ओ. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं घरे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परिवोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागी, मण्डली एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमोदित प्राप्त करने। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण संस्थान मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
29. अतीसमय ग्रीन खनिज मिशन, 2018, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं अनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
30. कार्य स्थल पर यदि कौनसे अधिक कार्य कर लगे जाते हैं तो ऐसे अधिकारियों को आवास की उचित व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिवोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
31. अधिकारियों के लिए खाना स्थल पर स्वच्छ पर्याप्त विविधतापूर्ण सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मूल मूल विकर्षण, अथवा सार्व सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विकर्षण प्रतिबंधित होगा।
32. अधिकारियों का समय-समय पर आवश्यकता अनुसार डेयू सविलेस कराया जाये।
33. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार सार्विक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच.ई.ओ.ई.ए.ए. प्रदूषण / माता सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमोदित के बिना नहीं किया जाए।
34. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समिति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी समिति को मुक्तान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उत्तराधिकार हेतु अधिकृत करता है।
35. एच.ई.ओ.ई.ए.ए., अतीसमय पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवोजना की कार्यवाही में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निर्यात के पावकों को और रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
36. परिवोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परिवोजना की शर्तों

